

बारहवीं
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2023 - 2024



पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)



पायस दूध उत्पादक कम्पनी

मूल्य (Values)

“हम सभी पायस कम्पनी के इन मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हैं।”

1. ईमानदारी एवं पारदर्शिता
2. टीम भावना
3. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता
हर स्तर पर
4. दीर्घकालीन दृष्टि
5. नवविचार (Innovation)
6. जूनून (Passion)

ध्येय (Mission)

- पायस दूध उत्पादक कम्पनी अपने सदस्यों के दूध उत्पादन की लागत को कम करते हुए, दूध उत्पादन एवं सदस्यों के दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है।

दीर्घ दृष्टि (Vision)

- अपने ध्येय-प्रतिबद्धता के साथ, पायस दूध संस्था विश्व की दूध व्यवसाय की अग्रणी संस्थाओं में जानी जायेगी एवं अपने समस्त सदस्यों, उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए पहली पंसद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित बारहवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता / असामंजस्यता / त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशक मंडल

(9 अगस्त 2024 को स्थिति)

श्रीमती ममता चौधरी	(DIN - 08842062)	-	अध्यक्षा एवं निदेशक
श्रीमती सुनिता शर्मा	(DIN - 09286071)	-	निदेशक
श्रीमती चन्दा यादव	(DIN - 09684561)	-	निदेशक
श्रीमती अनिता चौधरी	(DIN - 10239475)	-	निदेशक
श्री नारायण लाल गुर्जर	(DIN - 08075740)	-	निदेशक
श्री लालू लाल	(DIN - 08856442)	-	निदेशक
श्री भागचन्द	(DIN - 09286255)	-	निदेशक
श्री विजय सिंह मीणा	(DIN - 09286327)	-	निदेशक
श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया	(DIN - 09684777)	-	निदेशक
श्री हनुमान चौधरी	(DIN - 09684895)	-	निदेशक
श्री मुकेश कुमार गढ़वाल	(DIN - 10239469)	-	निदेशक
श्री सौगत मित्रा	(DIN - 00541858)	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री राजेश गुप्ता	(DIN - 09248147)	-	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. रघु हासन मल्लेगौड़ा	(DIN - 08936193)	-	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. मनवीर सिंह	(DIN - 09442343)	-	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

कम्पनी सचिव

श्री अनूप गुप्ता

वैधानिक अंकेक्षक

प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एलएलपी
नई दिल्ली
गुरुग्राम, हरियाणा

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर
एच.डी.एफ.सी.बैंक, जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जयपुर
ऐक्सिस बैंक, जयपुर

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट

बीटल फाइनैंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि.
बीटल हाऊस, तीसरी मंजिल,
99, मदनगीर, नई दिल्ली-110062

रजिस्टर्ड कार्यालय

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर
वैशाली नगर, जयपुर-302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. : +91-141-2352736
ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

प्रमुख-वित्त एवं लेखा

श्री कपिल पचौरी

आतंरिक अंकेक्षक

अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ सं.
1. निदेशकों की रिपोर्ट	1-17
2. स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	18-27
3. अंकेक्षित वार्षिक लेखा विवरण:	
(अ) 31 मार्च, 2024 को आर्थिक चिट्ठा	28
(ब) 31 मार्च, 2024 के लिये लाभ-हानि खाता	29
(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	30
4. नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है	31-55
5. वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं अनुलग्नक	56-67
6. उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)	68
7. प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)	69-70



प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की 13वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी ने कुल रु. 1462.92 करोड़ का कारोबार किया। कम्पनी ने कर भुगतान करने के पश्चात् रु. 7.74 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) भी देने की अनुशंसा की है।

कम्पनी ने वर्ष 2023-2024 में 6.99 लाख किलोग्राम प्रतिदिन औसतन दुग्ध का संकलन किया है। कम्पनी ‘‘पायस’’ ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध, घी, गाय का घी, दही और छाठ, पनीर इत्यादि उत्पादों का विक्रय किया है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड नाम से मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से उचित सेवायें भी दे रही हैं तथा दुग्ध उत्पादों को उन्नत किस्म का चारा-बीज भी उपलब्ध करवा रही है।

पायस कम्पनी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) जोकि भारत सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठन (FPO) के निर्गमन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) के रूप में कार्य कर रही है, के दिशा निर्देशों से मेरवाड़ा फोड़र एंड एप्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का जिला-अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में निर्गमन किया गया है। मेरवाड़ा फोड़र कम्पनी का मुख्य उद्देश्य किसानों को हरा चारा के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करना तथा हरा एवं सुखा चारे का क्रय/विक्रय, साइलेज बनाने, तकनीकी सहायता, चारा बीज का वितरण एवं चारा विकास पर कार्य करना है।

कम्पनी ने मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए अपने सदस्यों को सहयोग प्रदान किया है। अभी तक कम्पनी ने कुल 15 मॉडल डेयरी फार्म स्थापित कराये हैं।

पारदर्शिता की दिशा में कम्पनी ने पायस सदस्य मित्र ऐप की सुविधा भी दे रही है। यह ऐप सदस्यों को उनके आपूर्ति दूध के दिन, दूध की मात्रा, दूध में फैट और एस.एन.एफ. का प्रतिशत और कम्पनी द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान की गई राशि जैसे विवरण उनके मोबाइल पर एक क्लिक पर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

कम्पनी की उत्तरोत्तर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सदृभावी,
ह./-
(डॉ. मनवीर सिंह)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते बारहवीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 2013 का अध्याय XXIA) के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कुल आय	1462.92	1419.95
कुल लागत (व्यय सहित)	1452.44	1423.64
कर के पूर्व लाभ / (हानि)	10.48	(3.69)
कर हेतु प्रावधान	2.74	(0.24)
कर के पश्चात् लाभ / (हानि)	7.74	(3.45)

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय रु. 1462.92 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रु. 1419.95 करोड़ की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल लागत (व्यय सहित) रु. 1423.64 करोड़ की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कुल लागत (व्यय सहित) रु. 1452.44 करोड़ रहे हैं।

पिछले वर्ष के कर के पश्चात् हानि रु. 3.45 करोड़ की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कर के पश्चात् लाभ रुपये 7.74 करोड़ रहा है।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रु. 8/- - प्रति समता अंश की दर से कुल रु. 3.05 करोड़ सीमित लाभांश (डिविडेंड) राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान आगामी 13वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने रु. 4.68 करोड़ की राशि को आर्थिक घिटा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करना प्रस्तावित है।

कार्य संचालन (Operations)

कम्पनी 3424 गाँवों में स्थित 3779 दुग्ध संकलन केन्द्रों से दुग्ध संकलन कर रही है। कम्पनी का वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुग्ध संकलन 23.02 करोड़ लीटर की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान 24.83 करोड़ लीटर दुग्ध का संकलन किया। इसमें 4.97 करोड़ लीटर गाय का दूध अलग से थोक बिक्री के लिए संकलन किया गया। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी उत्पादक मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी विभिन्न प्रकार में पॉली पैक दुग्ध का विक्रय कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 234 लाख लीटर व 823 मैट्रिक टन की तुलना में, समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी के पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 212 लाख लीटर व 656 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री आगे बढ़ेगी इसलिए कम्पनी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

मेरवाड़ा फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का गठन

(फोडर प्लस एफपीओ)

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA & FW) ने पूरे भारत में 10,000 किसान उत्पादन संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रारम्भ की थी, जिसका क्रियान्वयन विभिन्न हितधारकों जैसे कार्यान्वयन एजेंसियों, क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBOs), राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (NPMA) और संबंधित राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है।

भारत में एफपीओ के गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) नेशनल डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने उक्त योजना के अंतर्गत चारा प्लस एफपीओ के गठन के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBO) के रूप में पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी को नियुक्त किया और तदनुसार मेरवाड़ा फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड को दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को राजस्थान राज्य में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में निर्गमन किया गया।

मेरवाड़ा एफपीसी का मुख्य उद्देश्य चारा विकास गतिविधियां जैसे हरा चारा/साइलेज उत्पादन और बिक्री, खाने योग्य तैयार टीएमआर का उत्पादन, फसल अवशेषों को सुरक्षित रखना और उनकी बिक्री, इनपुट (कच्चा चारा साम्रगी, मिनरल मिक्सचर, चारा अनुपूरक, चारा बीज आदि) का खरीद और आपूर्ति एवं साथ ही अन्य पशुपालन गतिविधियां प्रारम्भ करना, जिससे छोटे/सीमांत किसानों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध हो सके।

समीक्षा अवधि के दौरान, मेरवाड़ा एफपीसी ने लगभग रु. 50 लाख का कुल व्यवसाय किया है और 300 उत्पादक सदस्यों ने कम्पनी में सदस्यता ली है।

उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी उपभोक्ताओं को गुणवत्ता दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुग्ध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं:

वर्ग	विभिन्न श्रेणियां
डबल टोन्ड मिल्क	200ml, 500ml, 1L, 6L
टोन्ड मिल्क	200ml, 500ml, 1L, 6L
फुल क्रिम मिल्क	500ml, 1L, 6L
होमोजनाइज़ड टोन्ड मिल्क	200ml, 500ml, 6L

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में मिक्स मिल्क, गाय का दूध और स्किम मिल्क का विक्रय करती है।

दही

पायस “दही” का 85 ग्राम और 180 ग्राम कप में, 180 ग्राम, 1 किलो और 5 किलो पॉलीपैक में एवं 5 किलो और 15 किलो प्लास्टिक के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

छाछ

पायस छाछ का 500 ml के पैक और मसाला छाछ का 250 ml के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

घी

पायस घी आधा लीटर (सिक्का पैक), 1 लीटर (सिक्का पैक), 5 लीटर टिन एवं 15 किलोग्राम के टिन और 1 लीटर गाय का घी (सिक्का पैक) एवं 1 लीटर गाय का प्रीमियम घी कांच की बोतल में ग्रामीण एवं शहरी विपणन प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

पनीर

पायस पनीर 200 ग्राम के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

उत्पाद विकास (Product Development)

मार्केट की उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया से, कम्पनी अपने दुग्ध उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

पशु आहार (Cattle Feed)

वर्ष 2023-2024 के दौरान, कम्पनी ने अपने “मुद्रिका” ब्राण्ड जिसमें दो प्रकार के पशु आहार मुद्रिका साधारण एवं मुद्रिका गोल्ड BIS Type-II है, का 35057 मैट्रिक टन का विक्रय किया।

राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर

(Rajasthan Specific Mineral Mixture and Ration Balancer)

राजस्थान की मिट्टी में खास खनियों की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर का विकास करने के लिए कम्पनी ने सुनियोजित किया है और इसे कम्पनी अपने “मुद्रिका” ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 63 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर वितरित किया है।

चारा विकास (Fodder Development)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोगिता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने हेतु चारा संरक्षण को प्रोत्साहन

करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। चारा विकास के अन्तर्गत, साईलेज प्रदर्शन, तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति जैसी गतिविधियां की जा रही है।

कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ती दरों पर गुणवत्तायुक्त चारा बीज जिसमें रिजका, जई, ज्वार और बाजरा के बीजों आदि का वितरण कर रही है। समीक्षा वर्ष के दौरान कुल 762 क्रिंटल चारा बीज का वितरण किया गया।

मॉडल डेयरी फार्म (Model Dairy Farm)

मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को सहयोग प्रदान किया है। वर्तमान में, पायस के राजस्थान के पाँच जिलों (जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा) में कुल 15 मॉडल डेयरी फार्म में कार्यान्वित हैं।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आर.बी.पी.) (Ration Balancing Programme)

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुग्ध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुग्ध उत्पादन की लागत कम कर दुग्ध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपने स्वयं के संसाधनों से राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं प्रदान की है। आर.बी.पी. ने पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को बदलने में सहायता की है।

कार्यक्षेत्र विवरण

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1	किसानों की संख्या	108
2	जानवरों की संख्या	188

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (Artificial Insemination Program)

नेशनल डेयरी प्लान के अंतर्गत, कम्पनी ने प्रशिक्षित मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITs) के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

पायस कम्पनी ने अपने स्वयं के संसाधनों से किसानों के घर तक कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने का कार्यक्रम चला रही है। प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की सुविधा हेतु मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) परिचालन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कम्पनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान 375 MAIT के माध्यम से लगभग 3,69,320 कृत्रिम गर्भाधान किये हैं।

उत्पादक सदस्यों के लाभ एवं 90 प्रतिशत से अधिक सटीकता के साथ मादा बछड़ो के उत्पादन के लिए सेक्स सॉर्टेंड सीमेन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, पायस ने नवंबर 2022 में अपनी कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में सेक्स सॉर्टेंड सीमेन का उपयोग प्रारम्भ किया। कम्पनी ने मार्च 2024 तक सेक्स सॉर्टेंड सीमेन के साथ 1285 कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्व पूर्ण किये हैं।

कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के अलावा, कम्पनी BFIL के सहयोग से पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक मॉडल चला रही है।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

किसी भी संगठन के लिए मजबूत संस्थान की नींव रखना आवश्यक है और यही बात पायस एमपीसी के लिए भी लागू होती है, जहां संस्था विकास एक प्रमुख स्तंभ है, जिसने पायस को पहचान दिलाई है। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों के

विकास और संशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, सदस्यों को संगठन में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील जागरूक बनाने के लिए शिक्षित और विकास मंच तैयार किया जाता है। इससे संगठनात्मक उद्देश्यों और लाभों की समझ को बढ़ानें में सहायता मिलती है। डेयरी फार्मिंग और प्रबंधन में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर जानकारी प्रदान करना, पशु स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन तकनीकों के बारे में ज्ञान बढ़ाना है। पीआईबी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और सहभागिता को प्रोत्साहित करता है तथा उनमें स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ाता है। संगठनात्मक गतिविधियों, नये कदम और उपलब्ध योजनाओं पर नवीनीकरण जानकारी साझा करने से संगठन के सभी हितधारकों के साथ पारदर्शिता और खुला संचार सुनिश्चित होता है।

पायस एमपीसी सदस्यों की भागीदार को बढ़ाने के लिए संवादात्मक सत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्यक्रम संगठनात्मक मूल्यों, दीर्घदृष्टि और ध्येय, संचालन और लाभों पर व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किये गये हैं। संगठन में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये सभी वे कुंजी हैं जिन पर पूरा अभियान चलता है। उचित संचार के लिये समावेशी वातावरण प्रदान करने से सदस्य को मूल्यवान महसूस करने में सहायता मिलती है। पायस पारदर्शिता, समावेशित और सदस्य संशक्तिकरण के आधारभूत मूल्यों का पालन करती है तथा अपने सदस्यों के कल्याण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। कम्पनी ने “संवाद कार्यक्रम” लागू करके अपनी प्रतिबद्धता को पुन मजबूत किया, जिसमें 15220 सदस्यों ने भाग लिया, पायस ने न केवल सदस्यों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया किन्तु उन्हें संगठनात्मक विकास और स्थिरता में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त भी बनाया। व्यापक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कई कम्पनी के परिचालन क्षेत्रों में कार्य किया। कम्पनी ने सभी सदस्यों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए विभिन्न संचार उपकरणों और पद्धति का उपयोग किया है।

एक विशाल कार्य क्षेत्र एवं सदस्यों के आधार वाली एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है कि दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करते हुये कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुड़ाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ग्राम स्तर पर 2926 अनौपचारिक विलेज कॉन्टेक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) बनाए गए, जिसमें 10066 सदस्य थे और 228 मिल्क रूट पर अनौपचारिक मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) बनाये गये, जिसमें 2926 सदस्य शामिल थे।

नये प्रोड्यूसर निदेशकों की नियुक्ति और संक्षिप्त परिचय करने की दृष्टि से, उनके लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (Orientation Programme) आयोजित किया गया। G20 और W20, आनंद और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ‘स्त्री तत्व’ नोएडा की एक्सपोजर विजिट से उनकी नेतृत्व क्षमता को स्पष्ट (Unraveling) करने की दिशा में एक ओर कदम था।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता हमेशा से ही ध्यानाकर्षण का क्षेत्र रहा है। हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र आवश्यक दुग्ध जांच उपकरणों से सुसज्जित है। दुग्ध जांच उपकरण जैसे डिजीटल इलेक्ट्रोनिक बैलेंस, वाटर बाथ, वोरटेक्स शेकर्स, आटोक्लेव, आर.एम. जॉच उपकरण, बी. आर मीटर, रेमी सेन्ट्रल्यूज मशीन, सोडियम जांच मशीन और रेफ्रिजरेटर आदि केन्द्रों पर कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता जांचने के लिए उपलब्ध है। गाय के दूध को प्राप्त करने, अवशीतन और भंडारण करने और प्रेषण करने के लिए अवशीतन केन्द्रों पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है जिससे इच्छुक खरीदारों को अच्छी गुणवत्ता के गाय के दुग्ध की आपूर्ति की जा सके। पद्धति उन्नतीकरण जैसे अधिक दुग्ध आने वाले शीतलन केंद्रों पर अतिरिक्त डॉक और संग्रह की सुविधा, प्रयोगशाला का विस्तार, दुग्ध की ताजगी को सुरक्षित करने के लिए रेफ्रीजरेशन क्षमता में वृद्धि, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आदर्श दुग्ध शीतलन केंद्र की स्थापना जैसे – ऑटो सीआईपी, ऑटो कन्वेयर आदि को आरम्भ किया गया।

केमिस्ट तथा एमसीसी इन्चार्ज के कौशल सुधार हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)

सम्पूर्ण संचालन तकनीक पर आधारित है। SAP ERP (उद्योग संसाधन योजना) सम्पूर्ण व्यवसाय में प्रारम्भ से अंत तक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

कम्पनी ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट और प्रबंधित सेवाएं को आयोजित करने के लिए एक मजबूत डेटा सेंटर सॉल्यूशन भी स्थापित किया है।

इसके साथ ही, कम्पनी ने निम्नलिखित तकनीकी आधारित सहभागिता (Interventions) की।

- ♦ पायस सदस्य मित्र मोबाईल ऐप – यह ऐप सदस्यों के लिए किसी भी समय अपने संरक्षता आंकड़ों तक पहुंचने के लिए पारदर्शिता और पासबुक सुविधा को सक्षम बनाता है।
- ♦ सामान्य पैकेट रेडियो सेवा (GPRS) – यह वास्तविक समय में एम.पी.पी. से सेन्टर सर्वर में दूध डेटा हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- ♦ फ़िल्ड इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए कॉल सेंटर – एक व्यवस्थित तरीके से एम.पी.पी. स्तर पर उपकरण की खराबी के निवारण के लिए फ़िल्ड इंजीनियरिंग सेवाओं के सहयोग के लिए एक कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई।
- ♦ सदस्यों/सहायकों को तुरन्त SMS/मोबाईल अधिसूचना।
- ♦ सदस्यों की शिकायतें/आपत्तियाँ दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर।
- ♦ बाजार मांग उत्पादन के लिए टेली बुकिंग सॉटवेयर।
- ♦ कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए इनाफ सॉटवेयर।
- ♦ मोबाईल टैबलेट के साथ फ़िल्ड कर्मचारियों को भी सक्षम बनाया गया है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (Change in nature of Business)

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

(Material Changes and Commitments after closure of Financial Year)

कम्पनी दूध संकलन व्यवसाय को और पायस धी की बिक्री को ओर अधिक बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इसलिए पॉली पैक दूध और ताजा/फर्मेन्ट दूध उत्पादों की बिक्री को बंद कर दिया है।

अंश पूंजी संरचना / सदस्यता

कम्पनी ने वर्ष के दौरान अधिकृत अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, दिनांक 31 मार्च, 2024 को कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रु. 50 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रारम्भ में कम्पनी की अभिदत्त और प्रदत्त अंश पूंजी रु 37,69,20,400 है, जिसमें 3769204 अंश सम्मिलित है। समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सदस्यों के 549156 समता अंशों को निरस्त किये हैं और सदस्यों को 602231 समता अंश पुनः जारी किये गये हैं।

31 मार्च, 2024 तक, कम्पनी की कुल प्रदत्त अंश पूंजी रु. 38,22,27,900 है, जिसमें 473046 निरस्त किये गये अंशों को छोड़कर 3822279 अंश सम्मिलित है, जिनका कुल मूल्य रु. 4,73,04,600 है, जिन्हें पुनः जारी किये जायेगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कम्पनी ने कोई समता अंश या वरीयता अंश या ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की है जिनके पास ऐसी प्रतिभूतियां को अंशों में बदलने का अधिकार या विकल्प है।

31 मार्च, 2024 को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 88560 सदस्य दर्ज हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान 19343 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नहीं करने के कारण निरस्त/समर्पण कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2024 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 2976 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है एवं उनमें से एक सदस्य ने अपनी सदस्यता समर्पण कर दी है। 1200 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नहीं करने के कारण एवं अन्य कारणों से निरस्त/समर्पण कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 90335 है।

सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी से सम्बन्धित संरक्षता मानदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें, जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2023–2024 में दर्शाये गये 88560 सदस्यों में से 25120 सदस्यों को आम सभा के सूचना पत्र में वर्णित सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है और 5159 सदस्य, जिन्होंने वोट करने का अधिकार के लिए आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दृग्ध की आपूर्ति की है) लेकिन उन्होंने अपने श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तों को पूरा नहीं किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन पर वोट नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 57081 सदस्य, जिन्होंने वोट करने के लिए उपरोक्त आधारभूत शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसलिए उन्हें आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं है। शेष, 1200 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2024 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

2976 नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2024 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं और उनमें से एक सदस्य ने अपनी सदस्यता समर्पण कर दी है वे वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लाभांश एवं 13वीं वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि हस्तांतरित (Transfer to Investor Education and Protection Fund)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 के प्रावधानों के अनुसार, IEPF प्राधिकरण (लेखा, अंकेशक, हस्तांतरित और धनवापसी) नियम, 2016 ("IEPF नियम") के साथ पढ़ें जाने के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए ₹. 13,16,480 की राशि का सीमित लाभांश जो अनपेड डिविडेंड खाते में हस्तांतरण की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदर्त (Unclaimed and Unpaid) रहा है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में हस्तांतरित कर दिया है।

आगे, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए निरस्त अंश राशि/अतिरिक्त अंश आवेदन राशि जो सदस्यता मानदण्ड को पूरा नहीं करती है, की राशि ₹. 41,99,315/- जो रिफंड करने के लिए देय है लेकिन रिफंड के लिए देय राशि की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदर्त (Unclaimed and Unpaid) रही है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में राशि हस्तांतरित कर दिया है।

कम्पनी के पास कोई अंतर्निहित अंश (Underlying Shares) नहीं है जिसे उपरोक्त उल्लेखित के अनुसार (IEPF) में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

अदावाकृत और अनपेड डिविडेंड और अंश आवेदन राशि/निरस्त किए गए अंशों की बकाया राशि की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर <https://www.paayasmilk.com/unclaimed-amount.php> उपलब्ध है। अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सूचियों देख सकते हैं और यदि उक्त सूचियों में कोई भी उपरोक्त राशि शेष रही है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड की बैठक (Board Meetings)

समीक्षा वर्ष के दौरान, सात बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक का विवरण नीचे प्रदर्शित है।

बोर्ड बैठक की क्र. सं.	बोर्ड बैठक की दिनांक	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशकों की संख्या
64 th	19.05.2023	14	13
65 th	14.07.2023	14	14
66 th	10.08.2023	14	14
67 th	05.10.2023	14	14
68 th	01.12.2023	14	12
69 th	25.01.2024	14	14
70 th	18.03.2024	14	13

हितधारकों से संबंधित समिति (Stakeholders' Relationship Committee)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) की आवश्कता के अनुसार, कम्पनी के अंशधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंधित समिति का गठन किया गया था। इस रिपोर्ट की तिथि को, हितधारक संबंधित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- a) श्रीमती ममता चौधरी, अध्यक्षा
- b) श्री नारायण लाल गुर्जर, सदस्य
- c) डॉ मनवीर सिंह, सदस्य

समिति की दो बार बैठक आयोजित हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

हितधारक संबंध समिति की संख्या	समिति की बैठक की दिनांक	सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
4 th	01.12.2023	3	3
5 th	18.03.2024	3	3

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति (Company's Policy Relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge their duties)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधान जोकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक (Directors)

श्रीमती गीता देवी गुर्जर और श्री सेडमल शर्मा कम्पनी के निदेशक पद से 18 सितम्बर, 2023 को सेवानिवृत हुये। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कम्पनी को दिये गये सहयोग हेतु धन्यवाद देता है।

श्रीमती अनिता चौधरी और श्री मुकेश कुमार गढ़वाल को 18 सितम्बर, 2023 से कम्पनी के उत्पादक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री सौगत मित्रा को कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दिनांक 18 अगस्त, 2023 से 2 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। प्रो. माधवी मेहता को कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दिनांक 25 मई, 2023 से 1 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया है।

श्री राजेश गुप्ता को कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दिनांक 14 मई, 2024 से 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। प्रो. माधवी मेहता, कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक से दिनांक 24 मई, 2024 को सेवानिवृत हो गई है। डॉ. रघु हासन मल्लेगोड़ा को कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दिनांक 05 जुलाई, 2024 से 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। श्री रतन कुमार सिंह ने मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक के पद से दिनांक 05 जुलाई, 2024 को त्याग पत्र दे दिया है और डॉ. मनवीर सिंह को मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक के रूप में दिनांक 06 जुलाई, 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुनः नियुक्ति

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षता के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गों श्रेणी-ए, श्रेणी-बी तथा श्रेणी-सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम-सभा में अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सदस्यों द्वारा संरक्षता के मापदण्ड पूरे करने के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी का संरक्षता योगदान क्रमशः 43%, 29% और 28% थे। तद्वारा, बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमशः श्रेणी-ए में 5 निदेशक, श्रेणी-बी में 3 निदेशक तथा श्रेणी-सी में 3 निदेशक होती हैं।

कम्पनी, अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा : -

श्रेणी-ए के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 निदेशक हैं। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती सुनिता शर्मा, कम्पनी की निदेशक, “श्रेणी-ए” की प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगी और योग्यताएँ पूरी करते हुये अपने आप को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने उनकी पुनःनियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 13वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्रक हैं।

श्रेणी-बी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक हैं। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती ममता चौधरी कम्पनी की निदेशक, “श्रेणी-बी” की प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत

होंगी और योग्यताएँ पूरी करते हुये अपने आप को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती है। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने उनकी पुनःनियुक्ति की अनुशंसा की है।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री भागचन्द कम्पनी के निदेशक, “श्रेणी-बी” के प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे और योग्यताएँ पूरी करते हुये अपने आप को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने उनकी पुनःनियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति/पुनःनियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 13वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्रक हैं।

श्रेणी-सी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक हैं, इसलिए 13वीं वार्षिक आम सभा में निदेशकों की श्रेणी-सी में कोई सेवानिवृति/चुनाव नहीं है।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:-

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का सामग्री प्रारंभिक से संबंधित उचित व्याख्या अनुपालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।
- कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।
- निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह प्रणाली उचित और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और संरचना या संचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF की अनुपालना में कम्पनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जायेगी जोकि स्वंतत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा एवं कम्पनी के खातों का अंकेक्षण करेंगे।

सावधि जमा (Fixed Deposits)

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान कोई जमायें स्वीकार नहीं की हैं।

ऋण, दी गई गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees given and Investments)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कम्पनी ने कोई ऋण की अनुमति या कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है और ना ही कोई निवेश किया है।

संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध अथवा लेनदेन का विवरण (Particulars of Contracts, Arrangements with related parties)

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी अनुबंध/ व्यवस्थाएं/लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में आर्म लेन्थ बैसिस (Arm's length basis) और व्यवसाय के सामान्य श्रृंखला में थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया था, जो बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कम्पनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था, जिसे भौतिक माना जा सकता है या जिसे अधिनियम की धारा 188 और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) को धारा 134(3) (h) के साथ पढ़े जाने के संदर्भ में फॉर्म AOC-2 में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को कम्पनीज (CSR) संसोधन नियम 2021 के साथ पढ़ें जाने के अनुसार, कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) लिया है और सीएसआर नीति को अपनाया है, जो कम्पनी की वेबसाइट <https://www.paayasmilk.com/csr-policy> पर उपलब्ध है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी की सीएसआर नीति में विनिर्दिष्ट के अनुसार कम्पनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief Fund) रु. 9.46 लाख का सीएसआर योगदान दिया है। कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक-1 में प्रदान की गई है।

जोखिम प्रबंधन (Risk Management)

कम्पनी के पास उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। कम्पनी ने प्रमुख व्यावसायिक जोखिमों की पहचान कर समीक्षा की और समय-समय पर ऐसे जोखिमों को कम करने में हुई प्रगति की निगरानी करती है। कम्पनी ने सभी मुख्य परिचालन के लिए मानक संचालन कार्यों की समीक्षा की और इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

कम्पनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर जोखिम प्रबंधन (Risk Management) नीति कार्यान्वित की है।

सचेतक तंत्र (Vigil Mechanism)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत कम्पनी ने सचेतक तंत्र के लिए नीति अपनाई है, जिसमें कोई भी मुद्दा जो कम्पनी की संहिता के उल्लंघन या उसके विरुद्ध हो, को प्रबंधन जी जानकारी में लाने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों को उचित अवसर प्रदान करता है। कर्मचारियों को Whistle Blowing के माध्यम से अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सचेतक तंत्र (Whistle Blower Policy) कम्पनी की वेबसाइट <https://www.paayasmilk.com/vigil-mech-policy> पर उपलब्ध है।

अंकेक्षक (Auditors)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (4)(e) के प्रावधानों के अनुसार, मैसर्स प्राइस वाटरहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी (ICAI) फर्म पंजीकरण संख्या 012754 N / N 500016) वैधानिक अंकेक्षकों आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे और योग्यताओं को पूरा करते हुये स्वयं को पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं। कम्पनी को अंकेक्षक से इस संदर्भ में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है अगर उनकी पुनःनियुक्ति की जाती है, तो वह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

कम्पनी को अंकेक्षकों से इस पर पुष्टिकरण प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुनःनियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा में होगी और वे पुनःनियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, वैधानिक अंकेक्षकों ने धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

लागत अभिलेख (Cost Record)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कम्पनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नहीं होती है।

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के सचिवीय मानक (Secretarial Standards of ICSI)

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा जारी सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं की अनुपालना के लिए कम्पनी में एक उचित प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

सचिवीय अंकेक्षण (Secretarial Audit)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, कम्पनी पर सचिवीय अंकेक्षण लागू नहीं है।

अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की समीक्षा (Boards' comment on the Auditors' Report)

अंकेक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित नोट्स और वित्तीय विवरण स्व-व्याख्यात्मक हैं और उन पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई अयोग्यता, शर्त, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

वार्षिक रिटर्न (Annual Return)

दिनांक 31 मार्च, 2024 को कम्पनी का वार्षिक रिटर्न कम्पनी की वेबसाइट <http://www.paayasmilk.com/annual-general-meeting.php> पर देखा जा सकता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंग उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी गई है। वर्ष के दौरान, कम्पनी को लैंगिंग उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला। इसलिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पढ़े कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के संशोधित नियम 5 (2) के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

(Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में:

(i) ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में भाग ए तथा बी के नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ii) विदेशी विनियम आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

अन्य प्रकटीकरण

- कोई भी कम्पनी ना तो पायस कम्पनी की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी बनी या समाप्त हुई है।
- विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं हुआ है जोकि कम्पनी के संचालन एवं भविष्य की परिचालन स्थिति को प्रभावित करता है।
- कम्पनी के विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ / लंबित नहीं है जोकि कम्पनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
- एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन, उसके कारणों सहित कम्पनी पर लागू नहीं होता है।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते हैं, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डिलिवरी बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल

ह. / -

ममता चौधरी

अध्यक्षा

डी.आई.एन.-08842062

स्थान : जयपुर

दिनांक : 09 अगस्त, 2024

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम
8 के समक्ष पढ़े जाने अनुसार

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा:

कम्पनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ पढ़े जाने के अनुसार विस्तृत गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- a) स्वास्थ्य
- b) शिक्षा
- c) स्वच्छता सुविधाएं
- d) पर्यावरण स्थिरता
- e) जाति समानता को बढ़ावा देना
- f) व्यावसायिक कौशल में सुधार
- g) राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की सुरक्षा करना
- h) सश्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय
- i) पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केर्यस फंड या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान
- j) इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान
- k) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को पूरा करना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में व्यस्त रखना

2. सीएसआर समिति की संरचना: लागू नहीं है (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं है।				

3. वह वेब लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।

<https://www.paayasmilk.com/csr-policy>

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का वेब लिंक के साथ सारांश प्रदान प्रदान करें, यदि लागू हो-लागू नहीं है
5. (क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ: रु. 4,73,04,788/-
 (ख) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: रु. 9,46,096/-
 (ग) पिछले वित्तीय वर्षों का सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष- Nil
 (घ) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाले राशि, यदि कोई हो- Nil
 (ण) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (ख+ग-घ) : रु. 9,46,096/-
6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (जारी परियोजनाओं एवं जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) पर व्ययित राशि : रु. 9,46,096/-

वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का व्यौरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन की रीति-संधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य जिला					नाम सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
Nil										

वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का व्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन की रीति-संधे (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य जिला			नाम सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	अनुसूची VII (Viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	पैन इंडिया	पैन इंडिया	पैन इंडिया	रु. 9,46,096/-	हाँ
	योग					रु. 9,46,096/-	

(ख) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि: Nil

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष (क+ख+ग) के लिए खर्च की गई कुल राशि: रु. 9,46,096/-

(ण) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम कुल राशि	खर्च न की गई (रूपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
रु. 9,46,096/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(च) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि

क्र. सं.	विशिष्टी	राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	रु. 9,46,096/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु. 9,46,096/-
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	Nil
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	Nil
(v)	सेट ऑफ [(iii)-(iv)] के लिए उपलब्ध राशि	Nil

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रु. में)	कमी यदि कोई हो
				राशि (रु. में)	अंतरण की तारीख राशि (रु. में)		
लागू नहीं							

8. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहित परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। : लागू नहीं है

यदि हां, तो निमित / अधिग्रहित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: लागू नहीं है

वित्तीय वर्ष में कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	सम्पत्ति या सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण (सम्पत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	सम्पत्ति या सम्पत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी की इकाई/ प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू है	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
लागू नहीं							

9. कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो – लागू नहीं है

स्थान: जयपुर
दिनांक: 09 अगस्त, 2024

ह./-	ह./-
ममता चौधरी	डॉ मनवीर सिंह
अध्यक्षा और निदेशक	मुख्य कार्यकारी और निदेशक
डी.आई.एन. : 08842062	डी.आई.एन. : 09442343

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिये वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट (Auditors' Report)

राय (Opinion)

- हमने पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 को आर्थिक चिटठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।
- हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते हैं एवं 31 मार्च, 2024 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएं देते हैं।

राय (Opinion) के लिए आधार

- हमने ऑडिट अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों (SAs) के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

अन्य जानकारी

- कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट में जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

हमारी वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से अंसगत हैं या हमारे अंकेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस उस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है।

इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

प्रबन्धन का उत्तरदायित्व और वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन का प्रभार संभालने वालों की जिम्मेदारियां

- कम्पनी के निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित विषयों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जो आमतौर पर भारत में लागू अन्य लेखांकन सिद्धान्तों जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल है के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमिताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निष्य लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

6. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसाकि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नहीं ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हों। निवेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।
8. SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी:
- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
 - अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
 - प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
 - लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आर्कित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रुकावट उत्पन्न कर सकता है।
 - वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते हैं।
 - 9. हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते हैं।
 - 10. हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के सम्बन्ध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं सम्बंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षा उपाए भी बताते हैं।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

11. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा(11) के तहत भारत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (अंकेशक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर लागू सीमा तक विवरण “अनुलग्नक ब” में दिया है।
12. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :-
 (अ) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेशण के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 (ब) कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 (g) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैरा 12(vi) में वर्णित विषयों को छोड़कर, हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें हैं जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।
 (स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 (द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है।
 (य) 31 मार्च, 2024 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2024 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
 (र) खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, कम्पनी नियमों के नियम 11 (g) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैरा 12(b) और नीचे 12(vi) में हमारी टिप्पणियों को संदर्भ दिया गया है।
 (ल) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट “अनुलग्नक अ” को देखें।
 (व) कम्पनीज (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेशक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:-
 i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लम्बित मुकदमे प्रकट किये हैं जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो – वित्तीय विवरणों के नोट 30 को देखें।
 ii. कम्पनी का लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 तक किसी प्रावधान को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दीर्घकालीन अनुबंधों पर उसके पास कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानियाँ नहीं हैं। 31 मार्च, 2024 तक कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध (Derivative Contracts) नहीं था।
 iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।
 iv. (अ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसाकि वित्तीय विवरणों के लिए में प्रकटीकरण किया गया है, कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“मध्यस्थों”) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को या में (ऋण ली गई निधि से या अंश प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) कोई राशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को किसी भी प्रकार से ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गांठी, सुरक्षा या ऐसी वस्तु प्रदान करेगी (वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 (बी) (ix); और
 (ब) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसाकि वित्तीय विवरणों के लिए में प्रकटीकरण किया गया है, कम्पनी को विदेशी संस्थाओं (“फंडिंग पार्टियों”) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कम्पनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को किसी भी प्रकार से ऋण

देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी वस्तु प्रदान करेगी (वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 (बी) (ix) ; और

(स) अंकेक्षण की प्रदर्शन की गई प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे सूचना में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (अ) और (ब) के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण उपरोक्त कथन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

- v. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालना में है।
- vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच, कम्पनी ने अपने बही खातों को बनाये रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) विशेषता रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संबंधित लेनदेन के लिए सम्पूर्ण वर्ष संचालित होता है, केवल विशिष्ट पहुंच वाले कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा संशोधन के विषय में और डेटाबेस स्तर पर सीधे निष्पादित कुछ कार्यों के लिए अनुप्रयोग स्तर पर ऑडिट लॉग को बनाये नहीं रखा जाता है। हमारी प्रक्रियाओं के निष्पादन के दौरान, ऑडिट ट्रेल को बनाये न रखने के उपरोक्त उदाहरणों के अलावा, जहां ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं, इस पर हमारी टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता, हमने ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किये जाने का कोई उदाहरण नहीं देखा।
- 13. अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़े जाने वाली धारा 197 के प्रावधान केवल सार्वजनिक कम्पनियों पर लागू होते हैं। तद्वारा, अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- 14. अधिनियम की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, इस धारा में वर्णित मुद्दों पर हमने विवरण “अनुलग्नक स” में दिया है।

कृते प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016

ह. / -
संदीप चड्हा
पार्टनर

सदस्यता संख्या: 096137
(UDIN: 24096137BKFTLH3028)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 5 जुलाई, 2024

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक—“अ”

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफ 12(g) में निर्दिष्ट)

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2024 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

2. कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान (“ICAI”) द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (“दिशानिर्देश लेख”) में उल्लिखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागू करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अपनी राय प्रकट करना है। हमने अपना अंकेक्षण अधिनियम की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित दिशानिर्देश एवं अंकेक्षण के मानक जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किये गये के अनुसार किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख—रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।
4. हमारे अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी अंकेक्षकों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।
5. हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

6. एक कम्पनी के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिविम्बित करती हैं तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं

निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारें में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाएं

7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के मूल्यांकन के पूर्वानुमानों इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय (Opinion)

8. हमारी राय में, कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च, 2024 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

कृते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउटेंट्स एलएलपी

फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016

ह./-

संदीप चड्हा

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 096137

(UDIN: 24096137BKFTLH3028)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 5 जुलाई, 2024

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक-“ब”

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 में निर्दिष्ट)

हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं दिये गये स्पष्टिकरण तथा हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान किये गये परीक्षण और रिकॉर्ड के आधार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) अ. (a) कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।
 (b) कम्पनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण का उचित रिकॉर्ड बना रखा है।
- ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा संपत्ति, प्लांट और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई हैं। हमारी राय में, सत्यापन का पैमाना उचित है।
- स. कम्पनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 12 को देखें)। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(i) (c) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- द. कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत मॉडल चुना है। इसलिए, इस पर हमारी टिप्पणी कि क्या पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है या परिवर्तन की मात्रा को निर्दिष्ट करने पर, यदि परिवर्तन संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी के शुद्ध वहन मूल्य के कुल 10 प्रतिशत या इससे अधिक है, का सवाल नहीं होता है।
- य. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) (पूर्व में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45)) और इनके अधीन बने नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति को धारण करने के लिए कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है या लंबित नहीं है और इसलिए इस पर हमारी टिप्पणी का कोई सवाल नहीं है कि क्या कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में विवरणों का उचित प्रकटीकरण किया है।
- (ii) अ. वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेन्ट्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और हमारी राय में सूचनाओं में ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। लेखा पुस्तकों के साथ तुलना में इन्वेन्ट्री के भौतिक सत्यापन में प्रत्येक श्रेणी के स्टॉक की सूची के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या इससे अधिक की इन्वेन्ट्री में विसंगतियां नहीं पाई गई हैं और उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से संबोधित गया है।
 ब. वर्ष के दौरान कम्पनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर रु. 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूँजी सुविधा स्वीकृत की गई है। स्वीकृति की शर्तों में ऐसे बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या विवरण दर्ज करने की शर्त नहीं है और तदनुसार, इस पर हमारी टिप्पणी करने का कोई प्रश्न नहीं है कि क्या ये रिटर्न या विवरण कम्पनी के अनऑडिटेड खाता पुस्तिका के समान हैं।
- (iii) कम्पनी ने कोई निवेश नहीं किया है, सुरक्षित/असुरक्षित ऋण/ऋण के रूप में अग्रिम राशि नहीं दी है या स्थायी गरंटी नहीं दी है या किसी अन्य पक्षकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(iii), (iii)(a), (iii)(b), (iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) और (iii)(f) के तहत् रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (iv) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत् आने वाली किसी भी पक्ष को कोई ऋण, निवेश एवं गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(iv) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (v) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट, किसी भी प्रकार के जमा या ऐसी राशि जिसे जमा माना जाता है को स्वीकार नहीं किया गया।
- (vi) अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी के किसी भी उत्पाद के लिए लागत अभिलेखों के रखरखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(vi) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

- (vii) अ. हमारे द्वारा जांच किये गये कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी राय में, कम्पनी माल एवं सेवाकर, भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक देय जैसा लागू हो, उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष जमा किया गया है।
- ब. उपधारा (अ) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक देय बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो।
- (viii) लेखा पुस्तकों में पूर्व अप्रत्यक्ष ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकटीकरण किया गया हो।
- (ix) अ. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
 ब. हमारे लेखा अंकेक्षकों की प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इशादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
 स. कम्पनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(c) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
 द. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार और कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी द्वारा अल्प समयावधि के आधार पर एकत्र की गई किसी भी निधियों का उपयोग दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है।
 य. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई अनुषंगियों सहयोगियों या संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(e) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
 र. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई अनुषंगियों सहयोगियों या संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(f) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (x) अ. कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नहीं की है इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(x)(a) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
 ब. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अंशों या पूर्ण, आंशिक और वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों को कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेन्ट नहीं किया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(x)(b) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (xi) अ. कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा या कम्पनी के साथ धोखेबाजी की जानकारी नहीं है, न ही नोटिस किया गया है या रिपोर्ट किया गया है, न ही हमे प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित किया गया है।
 ब. कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कम्पनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में एक रिपोर्ट केन्द्र सरकार के समक्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(xi)(b) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
 स. कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, जैसाकि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया, कम्पनी को वर्ष के दौरान कोई सचेतक की शिकायते प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(xi)(c) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है और निधि नियम, 2014 कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (xiii) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों की अनुपालना में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन किया है। अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत लेखांकन मानक 18 “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण” के तहत आवश्यक वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्षकारों के लेनदेन का विवरण का प्रकटीकरण किया गया है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 177 के तहत एक ऑडिट समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, इस सीमा तक, आदेश के अनुच्छेद 3 (xiii) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

- (xiv) अ. हमारी राय में, कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षक प्रणाली है।
 ब. अंकेक्षण अवधि के लिए आंतरिक लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।
- (xv) हमारी राय में, कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किये हैं। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xv) के तहत अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के अनुपालन पर रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) अ. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (a) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
 ब. वर्ष के दौरान कम्पनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय/आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की है। इसलिए, आदेश 3 (xvi) (b) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
 स. कम्पनी एक कोर निवेश कंपनी (CIC) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों में परिभाषित किया गया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (c) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
 द. कम्पनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह (जोकि कोर निवेश कंपनियों (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) के पास कोई CICs नहीं है, जोकि समूह का हिस्सा है। हालांकि, हमने अलग से मूल्यांकन नहीं किया है कि प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही और पूर्ण है या नहीं। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (d) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (xvii) कम्पनी को वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है तुरन्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रु. 91.53 लाख की नकद हानि हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (xix) वित्तीय अनुपात के आधार पर, एजिंग और वित्तीय आस्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की संभावित तारीख के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य सूचना और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारें में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर पूर्वानुमान, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास देते हैं कि लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख को कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है, जो कम्पनी को तुलन पत्र की तारीख पर अपनी मौजूदा देयताओं को पूरा करने में सक्षम है, जैसे ही और जब कभी वे तुलनपत्र तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हालांकि, हम व्यक्त करते हैं कि यह कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारें में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे व्यक्त करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और ना ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय होने वाली सभी देनदारियों, जब भी देय होगी, कम्पनी द्वारा उन्हें निर्वहन कर दी जायेगी।
- (xx) आर्थिक चिट्ठे की दिनांक को कम्पनी के पास अधिनियम की धारा 135 (5) के तहत कोई राशि अव्यायित नहीं की गई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xx) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (xxi) आदेश के अनुच्छेद 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं हैं। इसलिए, इस रिपोर्ट में उक्त अनुच्छेद के संबंध में कोई टिप्पणी सम्मिलित नहीं की गई है।

कृते प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी

फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016

ह./-

संदीप चड्हा

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 096137

(UDIN: 24096137BKFTLH3028)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 5 जुलाई, 2024

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक-“स”

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफ 14 में निर्दिष्ट)

- अ. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 17 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं हैं।
- ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की हस्तगत रोकड़ एवं कोई निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।
- स. 31 मार्च, 2024 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।
- द. अधिनियम के अध्याय XXIA के लागू प्रावधान के संबंध में, कम्पनी ने वर्ष के दौरान सदस्यों को लाभ, अंशों का हस्तान्तरण और परिधारक अधिकारों, सामान्य एवं अन्य संचय के संबंध में लेनदेन नहीं किया है। हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने उपरोक्त के संबंध में कम्पनी द्वारा किये गये लेनदेन अधिनियम के अध्याय XXIA के लागू प्रावधानों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई लेनदेन नहीं पाया है।
- ग. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- र. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।
- व. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई अन्य विषय नहीं है।

कृते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी

फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016

ह./-

संदीप चड्हा

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 096137

(UDIN: 24096137BKFTLH3028)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 5 जुलाई, 2024

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को आर्थिक चिट्ठा

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

विविधियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
समता एवं दायित्व			
अंशधारकों का कोष			
अंश पूँजी	3	3,822.28	3,769.20
संचित एवं अधिशेष	4	8,447.06	7,704.71
		12,269.34	11,473.91
आंवटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि	5	146.88	66.94
स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	6	239.37	353.58
गैर-चालू दायित्व			
अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	1,318.61	1,249.47
		1,318.61	1,249.47
चालू दायित्व			
अल्पकालीन ऋण	8	6,977.27	6,965.28
व्यापारिक देनदारियाँ	9		
- सूख्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		292.86	825.39
- सूख्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		5,468.64	5,598.77
अन्य चालू दायित्व	10	391.94	440.39
अल्पकालीन प्राप्तधान	11	19.29	53.08
		13,150.00	13,882.91
योग			
संपत्तियाँ			
गैर चालू संपत्तियाँ			
संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियाँ			
- संपत्ति, प्लांट और उपकरण	12	818.57	1,012.30
- अमूर्त संपत्तियाँ	12	-	-
- प्रगति अधीन पंजीगत कार्य	12	2.42	-
स्थगित कर संपत्तियाँ (गुद्ध)	13	64.40	53.42
दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	14	237.21	391.55
अन्य गैर चालू संपत्तियाँ	15	2,154.97	2,636.59
		3,277.57	4,093.86
चालू संपत्तियाँ			
स्टॉक	16	1,421.42	1,196.39
व्यापारिक लेनदारियाँ	17	11,683.00	12,042.84
रोकड़ एवं बैंक शेष	18	10,223.56	9,241.46
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	19	136.91	188.08
अन्य चालू संपत्तियाँ	20	381.74	264.18
		23,846.63	22,932.95
योग			
		27,124.20	27,026.81

संलग्न नोट्स, जोकि इन विवीथ विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।
यह निर्धारित दिनांक को हायारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट आर्थिक चिट्ठा है।

कृते प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016

ह./-

संदीप चड्हा

पाटनर

सदस्यता संख्या: 096137

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 05 जुलाई, 2024

ह./-

ममता चौधरी

निदेशक

डी.आई.एन.-08842062

ह./-

अनूप गुप्ता

कम्पनी सचिव

एम.जे. FCS 5302

स्थान : जयपुर

दिनांक : 05 जुलाई, 2024

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./-

नारायण लाल गुर्जर

निदेशक

डी.आई.एन.-08075740

ह./-

कपिल पचौरी

प्रमुख- वित्त एवं लेखा

ह./-

रतन कुमार सिंह

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

डी.आई.एन.-00142430

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि का विवरण

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

विवरणियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
व्यवसाय से आय	21	145,422.01	141,249.78
अन्य आय	22	870.59	746.15
कुल आय		146,292.60	141,995.93
व्यय			
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	23	135,602.85	133,462.72
स्टॉक इन ट्रेड के स्टॉक में परिवर्तन	24	(225.03)	(444.74)
कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	25	1,434.57	1,329.66
वित्त लागत	26	453.18	345.06
मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	27	229.70	278.38
अन्य व्यय	28	7,749.33	7,394.76
कुल व्यय		145,244.60	142,365.84
कर पूर्व लाभ/(हानि)		1,048.00	(369.91)
कर व्यय			
चालू कर		285.00	-
स्थगित कर (Deferred Tax)		(10.98)	(16.19)
पूर्व वर्षों से संबंधित कर		-	(8.35)
पूर्व वर्षों से संबंधित कर		274.02	(24.54)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		773.98	(345.37)
प्रति समता अंश आय/(हानि) (अंकित मूल्य प्रति शेयर: रु.100/-)	29		
(31 मार्च, 2023: रु.100/-)]			
मूल		20.79	(9.61)
डायल्यूटेड		20.79	(9.61)

संलग्न नोट्स, जोकि इन वित्तीय विवरणों का अधिन्दन हिस्सा हैं।

यह निर्धारित दिनांक को हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट लाभ-हानि का विवरण है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कृते प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी

फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016

ह./-
संदीप चड्हा
पार्टनर

सदस्यता संख्या: 096137

ह./-
ममता चौधरी
निदेशक
डी.आई.एन.-08842062

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. FCS 5302

ह./-
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.-08075740

ह./-
कपिल पचौरी
प्रमुख- वित्त एवं लेखा

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.-00142430

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 05 जुलाई, 2024

स्थान : जयपुर
दिनांक : 05 जुलाई, 2024

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

क्र.सं.	विविद्याएँ	नोट संख्या	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:			
	कर से पूर्व लाभ/(हानि)		1,048.00	(369.91)
	समायोजन के लिये :			
	मूल्य हास तथा क्षति संबंधी व्यय	27	229.70	278.38
	ब्याज से आय	22	(763.00)	(600.04)
	दिव्य लागत	26	450.34	345.06
	संपत्ति, प्लाट और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)		(31.87)	(56.44)
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ/(हानि)		933.17	(402.95)
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन:			
	दीर्घकालीन ऋणों एं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		1.86	1.48
	अन्य और चालू संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी		1.71	0.07
	अल्पकालीन ऋणों एं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		51.17	(85.26)
	स्टॉक में (वृद्धि)/कमी		(225.03)	(444.74)
	व्यापारिक लेनदारियों में (वृद्धि)/कमी		359.84	(4,095.54)
	अन्य दीर्घकालीन दायित्व में वृद्धि/(कमी)		69.14	163.24
	अल्पकालीन प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		(33.79)	40.69
	व्यापारिक देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		(662.66)	1,888.57
	अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)		(48.57)	(24.17)
	व्यावसाय से उत्पन्न/(उपयोग) रोकड़		446.84	(3,158.61)
	कर भुगतान (रिफ़ाइन का शुद्ध)		(132.52)	(205.96)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह / (उपयोग)	(अ)	314.32	(3,364.57)
ब.	निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:			
	संपत्ति, प्लाट और उपकरण की खरीद के लिए भुगतान		(152.93)	(141.00)
	प्राप्त व्याज		645.44	512.23
	अन्य बैंक शेष में निवेश (शुद्ध)		(3,371.67)	(521.01)
	संपत्ति, प्लाट और उपकरण की बिक्री पर प्राप्तियां		32.20	56.86
	निवेशकीय गतिविधियों में उपयोग शुद्ध रोकड़	(ब)	(2,846.96)	(92.92)
स.	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:			
	वर्ष के दौरान अंश आवेदन हेतु प्राप्त राशि (आवंटन लंबित)		146.88	66.94
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियां (प्रतिभूति (Security) प्राप्तियम सहित) (शुद्ध)		218.35	371.87
	अल्पकालीन ऋणों से प्राप्तियां		27,899.90	27,900.60
	अल्पकालीन ऋणों का पुनर्भुगतान		(27,887.91)	(27,911.74)
	लाभांश का भुगतान		(263.84)	(250.60)
	दिव्य लागत भुगतान		(437.60)	(332.95)
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोग शुद्ध रोकड़	(स)	(324.22)	(155.88)
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध कमी	(अ+ब+स)	(2,856.86)	(3,613.37)
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		3,239.10	6,852.47
	वर्ष के समाप्त पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		382.24	3,239.10
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में सम्मिलित हैं :	18		
	बैंकों में शेष:		382.24	
	-चालू खातों में			530.43
	-मास जमाएं (3 महीने से कम परिपक्षता)		-	2,708.67
			382.24	3,239.10

नोट्स:

- i) रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन मानक 3 – रोकड़ प्रवाह विवरण में निर्धारित “अप्रत्यक्ष विधि” के अंतर्गत तैयार किया गया है।
- ii) कोई भी दिये गये आकड़े रोकड़ निकासी को दर्शाते हैं।

यह निर्धारित दिनांक को हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट रोकड़ प्रवाह विवरण है।

कृते प्राइस वॉर्टहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/500016

ह./-
संदीप चड्ढा
पार्टनर

सदस्यता संख्या: 096137

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 05 जुलाई, 2024

कृत निवेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./-
ममता चौधरी
निवेशक
ठी.आई.एन.-08842062

ह./-
नारायण लाल गुर्जर
निवेशक
ठी.आई.एन.-08075740

ह./-
रतन कुमार सिंह
निवेशक एवं मुख्य कार्यकारी
ठी.आई.एन.-00142430

ह./-
अनुष गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.ए. FCS 5302
स्थान : जयपुर
दिनांक : 05 जुलाई, 2024

ह./-
कपिल पचौरी
प्रमुख- वित्त एवं लेखा

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

1. सामान्य जानकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था। कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों (MPP) के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक दूध (पीपीएम) एवं धी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरी फ्रैश एवं पशु सीमेन की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां का संक्षिप्त विवरण

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अंतर्गत भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार संचय के आधार (Accrual Basis) पर तैयार किये गये हैं। यह वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और लागू होने वाले प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (लेखा मानक) 2021 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के सभी आवश्यक पहलुओं के अनुपालन में तैयार किये गये हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (खंड I) में निर्दिष्ट कम्पनी के परिचालन चक्र और अन्य मापदंडों के अनुसार सभी संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए संपत्तियों के अधिग्रहण और रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कम्पनी ने संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

2.2 संपत्ति, प्लांट और उपकरण

संपत्ति, प्लांट और उपकरण को उनकी लागत में से संचित मूल्यहास और संचित क्षति हानि, यदि कोई है, तो उसको घटाने के उपरान्त लिया गया है। लागत में आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य करों सहित क्रय मूल्य और संपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए किये गये प्रत्यक्ष रूप से खर्च सम्मिलित हैं। यदि मान्यता मापदंड पूरे होते हैं तो संपत्ति, प्लांट और उपकरण की किसी वस्तु से संबंधित बाद की लागतों को उस वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, प्लांट और उपकरण की वस्तु को निष्कासन पर या जब इसके उपयोग या निष्कासन से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हों नहीं हैं, तब उसे अमान्य कर दिया जाता है। अमान्य होने पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.3 मूल्य हास

संपत्ति की प्रकृति, उनके उपयोग की अनुमानित अवधि और परिचालन स्थितियों को ध्यान में रखने हुये प्रबंधन के विशेषज्ञ द्वारा किये गये तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संपत्ति के अनुमानित उपयोगी अस्तित्व पर सीधी रेखा पद्धति से अनुपातिक आधार पर मूल्य हास प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अवधि के लिए मूल्यहास शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जब तक कि इसे किसी अन्य संपत्ति की वहन राशि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। उपयोगी अस्तित्व, अवशिष्ट मूल्य और मूल्य हास पद्धति की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्तन पर की जाती है। यदि अपेक्षाएं गत अनुमानों से भिन्न हैं, तो परिवर्तनों को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में ध्यान में रखा जाता है।

संपत्ति, प्लांट और उपकरण के उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) का अनुमान निम्न प्रकार है:-

संपत्ति	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)	प्रबंधन द्वारा उपयोगी अस्तित्व का अनुमान (वर्षों में)
बिल्डिंग	30	10
प्लांट एवं उपकरण – दूध के कैन	15	4
प्लांट एवं उपकरण – अन्य	15	10
ऑफिस उपकरण	5	5
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10	10
कम्प्यूटर्स	3	3

2.4 अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण लागत, संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई है तो उसको घटाने के उपरान्त लिया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोगी अस्तित्व के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। प्रबंधन द्वारा खंडन योग्य अवधारणा पर

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

विचार किया जाता है कि किसी अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी अस्तित्व उस दिनांक से 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर की जाती है। यदि संपत्ति का अपेक्षित उपयोगी अस्तित्व गत अनुमानों से काफी भिन्न है तो परिशोधन अवधि तदनुसार परिवर्तन कर दी जाती है।

किसी अमूर्त संपत्ति की सेवानिवृति या निष्कासन से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निष्कासन आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अमूर्त संपत्ति के उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) का अनुमान निम्न प्रकार है:-

संपत्ति	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)	प्रबंधन द्वारा उपयोगी अस्तित्व का अनुमान (वर्षों में)
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	NA	3
ट्रेड मार्क	NA	5

2.5 ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज और ऋण के संबंध में होने वाली अन्य लागत सम्मिलित होते हैं। योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट ऋण लागत, जो ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, उन संपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि संपत्तियां अपने इच्छित उपयोग या बिक्री पर्याप्त रूप से तैयार न हो जायें। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय किये गये हैं।

2.6 संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि संपत्ति (मूर्त और अमूर्त) क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति/रोकड़ उत्पादन इकाई ("CGU") की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। प्राप्ति योग्य राशि किसी संपत्ति या CGU के शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य किसी संपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके उपयोगी अस्तित्व के अंत में उसके निष्कासन से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भविष्य के रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। हानि का आंकलन करने के उद्देश्य से, प्राप्ति योग्य राशि एक विशिष्ट संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति रोकड़ प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के समूहों से व्यापक रूप से स्वतंत्र होता है। संपत्तियों के पहचान योग्य सबसे छोटा समूह जो निरंतर उपयोग से रोकड़ प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के समूहों से रोकड़ प्रवाह से व्यापक रूप से स्वतंत्र होता है, उसे CGU माना जाता है। संपत्तियों या CGU जिसका वहन मूल्य इसकी प्राप्ति योग्य राशि से अधिक है, को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी प्राप्ति योग्य राशि में लिखा जाता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर मूल्यांकन भी किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पूर्व लेखांकन अवधि में किसी संपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त हानि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है या कम हो सकती है। हानि को उस सीमा तक बदल दिया जाता है कि संपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती यदि कोई हानि पहले से मान्यता प्राप्त नहीं थी।

2.7 स्टॉक

स्टॉक कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताई गई है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके लागत निर्धारित की जाती है। स्टॉक इन ट्रेड की लागत में कच्चा स्टॉक, प्रत्यक्ष श्रम, अन्य प्रत्यक्ष लागत और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत भी सम्मिलित है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय की सामान्य प्रणाली में पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाने के पश्चात अनुमानित बिक्री मूल्य है।

2.8 आय का निर्धारण

माल की बिक्री

बिक्री को मान्यता तब दी जाती है जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल का स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल क्रेता को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं, जो माल की डिलीवरी के अनुरूप है और व्यापार बट्टे, छूट और वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

अन्य आय

ब्याज आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुये समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

2.9 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि

कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में योगदान नियामन प्राधिकरण को किया जाता है, जहां कम्पनी का कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं है। ऐसे लाभों को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि कम्पनी का मासिक आधार पर किये गये योगदान के अतिरिक्त कोई और दायित्व नहीं है।

ग्रेच्यूटी

कम्पनी ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली एक परिभाषित लाभ योजना (''ग्रेच्यूटी योजना'') प्रदान करती है। ग्रेच्यूटी योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। कम्पनी की देनदारी प्रत्येक वर्ष के समाप्ति पर बीमांकिक रूप से (प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके) निर्धारित की जाती है। बीमांकिक हानि/लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। ग्रेच्यूटी योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा निर्धिबद्ध एवं प्रशासित है। LIC में किये गये योगदान को योजना संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। आर्थिक घिटा में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व, योजना संपत्तियों के उचित मूल्य से परिभाषित लाभ दायित्व घटाकर वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जिसे वर्ष के समाप्ति से 12 महीनों के अंदर प्राप्त या नकदीकरण किये जाने की संभावना है, को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। इसके प्रति दायित्व को वर्ष के समाप्ति में अप्रयुक्त योग्यता के परिणामस्वरूप भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि के रूप में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत पर मापा जाता है।

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जिसे वर्ष के समाप्ति से 12 महीनों से अधिक समय तक प्राप्त या नकदीकरण की जाने की संभावना है, को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। कम्पनी की देनदारी प्रत्येक वर्ष के समाप्ति पर बीमांकिक रूप से (प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके) निर्धारित की जाती है। बीमांकिक हानि/लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति दायित्व, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा निर्धिबद्ध एवं प्रशासित है। LIC में किये गये योगदान को योजना संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। आर्थिक घिटा में मान्यता प्राप्त संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति दायित्व, योजना संपत्तियों के उचित मूल्य से घटाकर संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

2.10 चालू एवं स्थगित कर

अवधि के लिए कर व्यय, जिसमें वर्तमान कर और स्थगित कर सम्मिलित है जोकि अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि के निर्धारण में सम्मिलित किये गये हैं। वर्तमान कर को प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है।

स्थगित कर संपत्तियों के संबंध में विवेक पर विचार के अधीन, सभी समय अंतरों के लिए स्थगित कर को मान्यता प्रदान की जाती है। स्थगित कर केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है और मान्यता प्रदान की जाती है, जहां उचित निश्चितता हो, की पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष ऐसी स्थगित कर संपत्तियों की प्राप्ति की जा सकती है। स्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है और कर कानून जो आर्थिक घिटा की दिनांक तक अधिनियमित या पूर्ण रूप से अधिनियमित किये गये हैं।

वर्तमान कर संपत्तियों और चालू कर देनदारियों की प्रतिपूर्ति तब की जाती है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और संपत्ति और देनदारी को शुद्ध आधार पर स्थगित करने का उद्देश्य है। स्थगित कर संपत्तियों और स्थगित कर दायित्वों की प्रतिपूर्ति तब की जाती है जब चालू कर का प्रतिनिधित्व करने वाली दायित्वों के विरुद्ध संपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से अधिकार है और जहां स्थगित कर संपत्तियों और स्थगित कर दायित्वों समान अभिशासित कराधान कानूनों द्वारा लगाये गये आय पर करों से संबंधित है।

2.11 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब किसी गत घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है, यह संभव है कि दायित्व को

प्रायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

स्थापित करने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान है। प्रावधानों को आर्थिक चिट्ठा की तिथि पर चालू दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर मापा जाता है और इसके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है।

आकस्मिक दायित्व

आकस्मिक दायित्व का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से कोई संभावित दायित्व उत्पन्न होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो संपूर्ण रूप से कम्पनी के नियंत्रण में नहीं है या कोई वर्तमान दायत्व जो पिछले घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां या तो यह संभव नहीं है स्थापित करने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

2.12 अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकन सिंद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो आर्थिक चिट्ठा की तिथि के अनुसार संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वर्ष के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई की राशि और आर्थिक चिट्ठे की तिथि के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन वित्तीय विवरणों में उपयोग किये गये अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरण की तिथि के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और संपत्तियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

2.13 लीज

परिचालन लीज

ऐसी लीज जिनमें स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफल का एक महत्वपूर्ण भाग मालिक (Lessor) के निहित होता है, उन्हें परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन लीज के अंतर्गत किये गये भुगतान को लीज की अवधि के दौरान एक सीधी पद्धति के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में सम्मिलित किया जाता है।

2.14 रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य

रोकड़ प्रवाह विवरण में, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में हस्तगत रोकड़, बैंकों के पास मांग जमायें, 3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्षता की अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश सम्मिलित है।

2.15 प्रति अंश आय

प्रति अंश मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया समता अंशों की भारित औसत संख्या से समता अंशधारकों के कारण होने वाली अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना करने के उद्देश्य से, समता अंशधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया अंशों की भारित औसत संख्या को सभी डायल्यूटेड संभावित समता अंशों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.16 अनुदान

सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब उसका यह कोई उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कम्पनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को स्थगित कर दिया जाता हैं और उन्हें उन लागतों के साथ मिलाने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान लाभ या हानि मानी जाती है जिनकी क्षतिपूर्ति करने का उनका उद्देश्य है और अन्य आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

संपत्ति, प्लांट और उपकरण के क्रय से संबंधित सरकारी अनुदान को स्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है जिसे संपत्ति के अस्तित्व एवं व्यवस्थित रूप से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है अर्थात्, ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्तियों पर मूल्य ह्वास शुल्क को स्थगित अनुदान से विनियोजित किया जाता है और कम मूल्य ह्वास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

विशिष्टियाँ	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
-------------	-------------------------	-------------------------

3. अंश पूँजी

अधिकृत

5,000,000 (31 मार्च, 2023 : 5,000,000)

प्रति समता अंश राशि रु. 100/-

5,000.00

5,000.00

जारी की गई

3,822,279 (31 मार्च, 2023 : 3,769,204)

प्रति समता अंश राशि रु. 100/-

3,822.28

3,769.20

सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी

3,822,279 (31 मार्च, 2023 : 3,769,204)

प्रति समता अंश राशि रु. 100/-

3,822.28

3,769.20

(i) अंशों की संख्या का मिलान:

विशिष्टियाँ	अंशों की संख्या	31 मार्च 2024 को स्थिति
राशि		
समता अंश :		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	3,769,204	3,769.20
जोड़िये: वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	602,231	602.23
घटाइये: वर्ष के दौरान निरस्त/समर्पण किए गए समता अंश	<u>(549,156)</u>	<u>(549.15)</u>
वर्ष के समापन पर शेष	<u>3,822,279</u>	<u>3,822.28</u>

31 मार्च 2023 को को स्थिति

विशिष्टियाँ	अंशों की संख्या	राशि
समता अंश:		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	3,579,944	3,579.94
जोड़िये: वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	528,679	528.68
घटाइये: वर्ष के दौरान निरस्त/समर्पण किए गए समता अंश	<u>(339,419)</u>	<u>(339.42)</u>
वर्ष के समापन पर शेष	<u>3,769,204</u>	<u>3,769.20</u>

(ii) समता अंशों से सम्बन्धित अधिकार तथा प्रतिबंध

कंपनी के पास समता अंशों की केवल एक श्रेणी है जिनका सम्मूल्य रु. 100/- प्रति अंश है। प्रत्येक अंशधारक एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस प्राप्त करने का अधिकारी है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आप सभा में अंशधारकों के अधीन है।

(iii) कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूँजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूँजी नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद या बोनस के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई अंश जारी नहीं किये गये हैं।

(v) प्रमोटर्स की अंशधारिता का विवरण

31 मार्च 2024 को स्थिति

क्र. सं.	प्रमोटरों का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
1	अनिल कुमार	271	0.01
2	बलदेव राम बेरवाल	130	0.00
3	भागचन्द	97	0.00
4	भगवान सहाय	126	0.00
5	गीता देवी गुर्जर*	Not Applicable	Not Applicable
6	जटा शंकर यादव	34	0.00
7	लादू लाल	79	0.00
8	ममता चौधरी	73	0.00
9	नारायण लाल गुर्जर	231	0.01
10	सेडमल शर्मा*	Not Applicable	Not Applicable
11	सुनिता शर्मा	219	0.01
12	विजय सिंह मीणा	183	0.00
13	चन्दा यादव	140	0.00
14	हनुमान चौधरी	53	0.00
15	जगदीश प्रसाद इनाणीया	153	0.00
16	अनिता चौधरी**	29	0.00
17	मुकेश कुमार गढ़वाल**	26	0.00

*दिनांक 18 सितम्बर, 2023 से कम्पनी में निदेशक के पद पर नहीं है।

**दिनांक 18 सितम्बर, 2023 से कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।

31 मार्च 2023 को स्थिति

क्र. सं.	प्रमोटरों का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
1	अनिल कुमार	271	0.01
2	बलदेव राम बेरवाल	130	0.00
3	भागचन्द	86	0.00
4	भगवान सहाय	126	0.00
5	गीता देवी गुर्जर	39	0.00
6	जय सिंह राठौड़*	Not Applicable	Not Applicable
7	जटा शंकर यादव	34	0.00
8	लादू लाल	65	0.00
9	ममता चौधरी*	Not Applicable	Not Applicable
10	ममता चौधरी-II	58	0.00
11	नारायण लाल गुर्जर	203	0.01
12	सेडमल शर्मा	14	0.00
13	सुनिता शर्मा	219	0.01
14	सुशील कुमार वैष्णव*	Not Applicable	Not Applicable
15	विजय सिंह मीणा	183	0.00
16	चन्दा यादव**	140	0.00
17	हनुमान चौधरी**	53	0.00
18	जगदीश प्रसाद इनाणीया**	90	0.00

*दिनांक 19 सितम्बर, 2022 से कम्पनी में निदेशक के पद पर नहीं है।

**दिनांक 19 सितम्बर, 2022 से कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट विविधियाँ सं.	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
4. संचित एवं अधिशेष		
(अ) सामान्य संचय		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष जोड़िये/घटाइये: लाभ एवं हानि के विवरण में अधिशेष से/(में) अंतरित	5,596.54 468.20	6,205.75 (609.21)
वर्ष के समापन पर शेष	6,064.74	5,596.54
(ब) प्रतिभूति प्रीमियम खाता		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंशों पर प्रीमियम घटाइये : वर्ष के दौरान अंशों के निरस्त/समर्पण पर प्रीमियम का भुगतान	1,844.33 301.12 (68.91)	1,613.52 264.34 (33.53)
वर्ष के समापन पर शेष	2,076.54	1,844.33
(स) लाभ-हानि विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष जोड़िये : वर्ष का लाभ/(हानि) घटाइये : 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को (रु. 7/- प्रति समता अंश) अंतिम सीमित प्रतिफल (डिविडेंड) जोड़िये/(घटाइये): सामान्य संचय से/(में) हस्तातंरण	263.84 773.98 (263.84) (468.20)	250.60 (345.37) (250.60) 609.21
वर्ष के समापन पर शेष	305.78	263.84
	8,447.06	7,704.71
5. आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि अंश आवेदन राशि (नोट 32 को देखें)	146.88	66.94
	146.88	66.94
6. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)		
अ. वर्ष के प्रारम्भ में शेष	353.58	467.89
ब. घटाइये : पूंजीगत अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास (नोट 12 अ को देखें)	(113.96)	(114.07)
स. घटाइये : संपत्ति, प्लांट और उपकरण को बट्टे खाते (Write-off) में डालने पर हानि	(0.25)	(0.24)
	239.37	353.58

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
 (सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
7.	अन्य दीर्घकालीन दायित्व (अ) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियां	1,318.61 1,318.61	1,249.47 1,249.47
8.	अल्पकालीन ऋण मुद्रा में ऋण परिपक्वता तिथि पुनर्भुगतान की शर्तें रसीद/ब्याज दर 31 मार्च 2024 को स्थिति 31 मार्च 2023 को स्थिति		
	बैंकों से असुरक्षित बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा रुपयों (अ) को देखें नीचे नोट (अ) को देखें नीचे नोट (अ) को देखें नीचे नोट (अ) को देखें 6,977.27 6,977.27	6,977.27 6,977.27	6,965.28 6,965.28
	नोट: (अ) कम्पनी ने बिल की तारीख से 90 दिनों तक की अवधि के लिए बैंक से बिल डिस्काउंटिंग सुविधा ले रखी है। ब्याज दर, रेपो रेट प्लस 0 प्रतिशत (31 मार्च 2023 को रेपो रेट प्लस 0.20 प्रतिशत) है।		

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
9.	व्यावसायिक देनदारियाँ (अ) लघु उद्योगों एवं सूक्ष्म उद्योगों की कुल बकाया राशि (नीचे नोट को देखें) (ब) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	292.86 5,468.64 5,761.50	825.39 5,598.77 6,424.16

नोट: लघु उद्योगों एवं सूक्ष्म उद्योगों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग (एमएसएमई) को बकाया का विवरण और एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड

आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और वर्ष के समाप्तन पर अदत्त

292.86

825.39

एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड

आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज और वर्ष के समाप्तन पर अदत्त

-

-

एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड

आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के पश्चात मूल राशि का भुगतान

-

-

एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के पश्चात

एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत

-

-

ब्याज का भुगतान

-

-

एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के पश्चात

एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अतिरिक्त

-

-

ब्याज का भुगतान

-

-

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

भुगतान करने में हुये विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि

(जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु निर्धारित तारीख के पश्चात)

लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट

ब्याज को जोड़े बिना

लेखाकेन वर्ष के समाप्तन पर अर्जित ब्याज और शेष अदत्त

पूर्ववर्ती वर्षों में भी शेष देय और संदेय और ब्याज की राशि, उस तारीख तक

जब यथा पूर्वत देय ब्याज का लघु उद्यमी को वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो,

एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में

मूक के प्रयोजन के लिए

9 व्यावसायिक देनदारियाँ (निरंतर)

व्यावसायिक देनदारियाँ परिपक्व अनुसूची:

विवरण	31 मार्च 2024 को बिल की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	बिना बिल	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित देय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों अन्य	10.19 54.00	- -	282.67 5,401.51	- 1.96	- 4.50	- 6.67	292.86 5,468.64
विवादित देय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों अन्य	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	64.18	-	5,684.18	1.96	4.50	6.67	5,761.50

विवरण	31 मार्च 2023 को बिल की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	बिना बिल	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित देय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों अन्य	- 200.79	- -	825.39 5,371.54	- 4.71	- 12.41	- 9.32	825.39 5,598.77
विवादित देय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों अन्य	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	200.79	-	6,196.93	4.71	12.41	9.32	6,424.16

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
 (सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
10.	अन्य चालू दायित्व		
(अ)	सदस्यता निरस्त की देनदारियाँ	50.58	102.56
(ब)	अर्जित ब्याज परन्तु देय नहीं	68.77	56.03
(स)	वैधानिक देय देनदारियाँ	54.84	49.52
(द)	अदत्त/अदावाकृत (Unclaimed) लांभाश	10.45	23.07
(य)	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	48.56	32.55
(र)	ग्राहकों से प्राप्त प्रतिभूति जमाएँ	67.17	86.70
(ल)	कर्मचारी लाभ देय	91.57	89.96
		391.94	440.39
11.	अल्पकालीन प्रावधान		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :		
(अ)	अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान	9.08	53.08
(ब)	गेच्यूटी के लिए प्रावधान (नोट 34 को देखें)	10.21	-
		19.29	53.08

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाखों रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

12. संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमृत संपत्तियाँ

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक			संचित मूल्य हास/क्षति			शुद्ध ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2023 को स्थिति	वर्ष के दौरान निकासन	31 मार्च 2024 को स्थिति	01 अप्रैल, 2023 को स्थिति	वर्ष के दौरान निकासन	31 मार्च 2024 को स्थिति	
संपत्ति, ब्लांट और उपकरण	35.46	-	35.46	25.93	3.03	-	28.96
विटिंग	4,605.34	136.37	4,633.55	3,651.03	316.36	47.90	3,919.49
प्लांट एं उपकरण	231.04	-	30.03	226.53	2.56	30.03	199.06
फलाईर तथा फिल्टर्स	68.53	0.69	1.33	67.89	0.64	1.26	63.16
आर्फिस उपकरण	863.77	13.20	-	876.97	824.57	21.07	845.64
कार्यालय	1,360.25	-	-	1,360.25	-	-	1,360.25
अमृत संपत्तियाँ	0.90	-	-	0.90	0.90	-	0.90
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-
ट्रैड मार्क	-	-	-	-	-	-	-
योग	7,165.29	150.26	79.52	7,236.03	6,152.99	343.66	79.19
प्रगति अधीन पूँजीगत कार्य	-	-	2.42	-	2.42	-	-
							2.42

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक			संचित मूल्य हास/क्षति			शुद्ध ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2022 को स्थिति	वर्ष के दौरान निकासन	31 मार्च 2023 को स्थिति	01 अप्रैल, 2022 को स्थिति	वर्ष के दौरान निकासन	31 मार्च 2023 को स्थिति	
संपत्ति, ब्लांट और उपकरण	37.50	-	2.04	35.46	24.93	3.03	20.03
विटिंग	4,645.68	102.13	142.47	4,605.34	3,423.20	369.92	142.09
प्लांट एं उपकरण	230.33	1.56	0.85	231.04	222.46	4.92	0.85
फलाईर तथा फिल्टर्स	67.73	1.26	0.46	68.53	62.35	1.86	0.43
आर्फिस उपकरण	836.14	35.82	8.19	863.77	820.04	12.72	8.19
कार्यालय	1,360.25	-	-	1,360.25	1,360.25	-	1,360.25
ट्रैड मार्क	0.90	-	-	0.90	0.90	-	0.90
योग	7,178.53	140.77	154.01	7,165.29	5,914.13	392.45	153.59
प्रगति अधीन पूँजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-	-

पायास मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाखों रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट 12 (अ) : पूर्जीवत अनुदान से अविंत की गई एवं नोट 12 में सम्मिलित सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है

विशिष्टियाँ	सकल बलांक			संचित मूल्य हास/क्षति			शुद्ध बलांक
	01 अप्रैल, 2023 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2024 को स्थिति	01 अप्रैल, 2023 को स्थिति	वर्ष के दौरान निकासन	31 मार्च 2024 को स्थिति	
संपत्ति, खांट और उपकरण विहिंग	31.90	-	-	31.90	22.37	3.03	-
प्लाट एवं उपकरण	1,623.07	24.03	1,599.04	1,283.16	109.77	23.78	1,369.15
फर्मिचर तथा फिक्वर्स ऑफिस उपकरण	191.69	30.03	161.66	189.93	1.16	30.03	161.06
कम्प्यूटर्स	47.97	-	47.97	45.59	-	-	45.59
722.59	-	-	722.59	722.59	-	-	722.59
अमृत संपत्तियाँ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,302.33	-	-	1,302.33	-	-	1,302.33
ट्रेड मार्क	-	-	-	-	-	-	-
योग	3,919.55	-	54.06	3,865.49	3,565.97	113.96	53.81
						3,626.12	239.37
							353.58

विशिष्टियाँ	सकल बलांक			संचित मूल्य हास/क्षति			शुद्ध बलांक
	01 अप्रैल, 2022 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	31 मार्च 2023 को स्थिति	01 अप्रैल, 2022 को स्थिति	वर्ष के दौरान निकासन	31 मार्च 2023 को स्थिति	
संपत्ति, खांट और उपकरण विहिंग	31.90	-	-	31.90	19.34	3.03	-
प्लाट एवं उपकरण	1,690.72	67.65	1,623.07	1,240.72	109.88	67.44	1,283.16
फर्मिचर तथा फिक्वर्स ऑफिस उपकरण	192.54	0.85	191.69	189.62	1.16	0.85	189.93
कम्प्यूटर्स	48.43	0.46	47.97	46.02	-	0.43	45.59
725.43	-	2.84	722.59	725.43	-	2.84	722.59
अमृत संपत्तियाँ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,302.33	-	1,302.33	1,302.33	-	-	1,302.33
ट्रेड मार्क	-	-	-	-	-	-	-
योग	3,991.35	-	71.80	3,919.55	3,523.46	114.07	71.56
							3,565.97
							353.58
							467.89

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स (सभी राशियाँ लाखों रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

12 (ब) : अनुसूची III अनुसार अतिरिक्त विनियामक जानकारी

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य परियोक्तन अनुसूची :

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	31 मार्च 2024 को प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य में निम्नलिखित अवधियों के लिए राशि			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्षों	2-3 वर्षों	3 वर्षों से अधिक
प्रगति अधीन परियोजनाएं	2.42	—	—	2.42
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	—	—	—	—

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	31 मार्च 2023 को प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य में निम्नलिखित अवधियों के लिए राशि			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्षों	2-3 वर्षों	3 वर्षों से अधिक
प्रगति अधीन परियोजनाएं	—	—	—	—
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	—	—	—	—

नोट: ऐसी कोई भी परियोजना नहीं है जो प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य है, जिसका पूर्ण होना विलम्बित या जिसकी लागत वास्तविक योजना की तुलना में अधिक हो गई है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाखों रूपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं. विवरण	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
13. स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)		
((Deferred tax Assets (net))	-	-
(अ) स्थगित कर दायित्वों	-	-
(ब) स्थगित कर संपत्तियाँ	-	-
संपत्ति, प्लान्ट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियाँ	64.40	53.42
 स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	64.40	53.42
14. दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गयें)		
(अ) पूर्वदत्त व्यय	0.18	2.04
(ब) अग्रिम कर (आयकर के लिए प्रावधानों का शुद्ध रु. 2,663.32 लाख (31 मार्च, 2023: रु. 2,378.32 लाख)	237.03	389.51
	237.21	391.55
15. अन्य गैर चालू संपत्तियाँ (असुरक्षित, उचित माने गयें)		
(अ) प्रतिभूति जमा	7.85	9.56
(ब) अन्य लेनदारियाँ	1.13	1.13
(स) अन्य बैंक शेष बैंक में 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्षता वाली दीर्घकालीन जमाएँ*	2,145.99	2,625.90
	2,154.97	2,636.59
*कम्पनी के पक्ष में ओवरड्रॉट की सुविधा, ऋण पत्र और बैंक गारंटी के लिए बैंक द्वारा Lien के रूप में धारित रु. 292.40 लाख (31 मार्च, 2023: रु. 720.01 लाख)		
16. स्टॉक		
(अ) स्टॉक इन ट्रेड (ट्राइंट में रु. 597.89 लाख सम्मिलित है, 31 मार्च, 2023 : रु. 489.30 लाख)	1,421.42	1,196.39
	1,421.42	1,196.39
17. व्यावसायिक लेनदारियाँ		
(अ) सुरक्षित, उचित माने गये	348.63	332.98
(ब) असुरक्षित, उचित माने गये	11,334.37	11,709.86
	11,683.00	12,042.84

नोट संख्या 8 को भी देखें

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाखों रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

17 व्यावसायिक लेनदारियाँ (निरंतर)

व्यावसायिक लेनदारियाँ परिपक्व अनुसूची:

विवरण	31 मार्च 2024 को बिल की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महिने से कम	6 महिने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	-	11,683.00	-	-	-	-	11,683.00
संदिग्ध माने गये	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	-	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध माने गये	-	-	-	-	-	-	-
	-	11,683.00	-	-	-	-	11,683.00

विवरण	31 मार्च 2023 को बिल की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महिने से कम	6 महिने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	-	12,042.78	0.06	-	-	-	12,042.84
संदिग्ध माने गये	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	-	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध माने गये	-	-	-	-	-	-	-
	-	12,042.78	0.06	-	-	-	12,042.84

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
 (सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
18.	रोकड़ तथा रोकड़ शेष		
	(अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	बैंक शेष :		
	- चालू खातों में	382.24	530.43
	- मांग जमा (परिपक्वता अवधि तीन महीनों से कम)*	-	2,708.67
		382.24	3,239.10
	*कम्पनी के पक्ष में ओवरड्राट की सुविधा, ऋण पत्र और बैंक गारंटी के लिए बैंक द्वारा Lien के रूप में धारित NIL (31 मार्च, 2023: रु. 1,481.05 लाख)		
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	वास्तविक परिपक्वता तीन महीनों से अधिक		
	लेकिन 12 महीने से कम की जमाएँ**	9,830.87	5,979.29
	अदत्त लाभांश खातों	10.45	23.07
		9,841.32	6,002.36
		10,223.56	9,241.46
	*कम्पनी के पक्ष में ओवरड्राट की सुविधा, ऋण पत्र और बैंक गारंटी के लिए बैंक द्वारा Lien के के रूप में धारित रु. 3,230.98 लाख (31 मार्च, 2023: रु. 1,367.84 लाख)		
19.	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम	0.05	0.05
	(ब) गेच्युटी फंड (नोट 34 देखें)	-	8.39
	(स) लेनदारों को अग्रिम	13.56	15.64
	(द) पूर्वदत्त व्यय	52.99	119.52
	(य) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	70.31	44.48
		136.91	188.08
20.	अन्य चल संपत्तियां		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) बैंक में जमा राशि पर अर्जित व्याज	381.74	264.18
		381.74	264.18

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
 (सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विविधियाँ	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
---------	-----------	-------------------------------------	-------------------------------------

21. व्यवसाय से आय			
उत्पादों की बिक्री			
(i) व्यावसायिक माल (नोट संख्या (ii) देखें)		163,103.88	158,231.55
(ii) घटाइये : पुनः क्रय के लिए तृतीय पक्ष (दुग्ध प्रोसेसर) को विक्रय (नोट संख्या (i) देखें)		17,681.87	16,981.77
		145,422.01	141,249.78

नोट:

(i) दुग्ध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए तृतीय पक्ष को विक्रय, जो उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए पुनः क्रय किया जाता है, को दर्शाता है।

(ii) विक्रय का विवरण

(अ) कच्चा दुग्ध	120,914.03	114,931.60
(ब) पॉली पैक दुग्ध	10,581.72	10,838.04
(स) अन्य दूध उत्पादक	1,008.12	1,002.82
(द) घी	3,056.29	4,052.37
(य) पशु आहार	9,583.33	10,215.60
(र) पशु सीमेन	278.52	209.35
कुल	145,422.01	141,249.78

22. अन्य आय

ब्याज से आय

-बैंक जमाओं पर	752.90	590.97
-आयकर रिफण्ड पर	10.10	9.07

अन्य गैर-व्यवसायिक आय

सदस्यता शुल्क	8.22	7.56
संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	31.87	56.44
विविध आय	67.50	82.11
	870.59	746.15

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
 (सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट विशिष्टियाँ सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
23. स्टॉक इन ट्रेड का क्रय		
(अ) कच्चा दुध (नोट संख्या 21(i) देखें)	111,865.05	107,242.87
(ब) पॉली पैक दुध	9,887.68	10,983.04
(स) धी	3,399.46	4,161.56
(द) पशु आहार	9,300.75	9,908.08
(य) अन्य दूध उत्पादक	951.00	993.39
(र) पशु सीमेन	198.91	173.78
कुल	135,602.85	133,462.72
24. स्टॉक इन ट्रेड के स्टॉक में परिवर्तन		
स्टॉक में (वृद्धि)/कमी		
वर्ष के समापन पर स्टॉक		
(अ) स्टॉक इन ट्रेड	1,421.42	1,196.39
घटाईये : वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
(ब) स्टॉक इन ट्रेड	1,196.39	751.65
स्टॉक में (वृद्धि)/कमी	(225.03)	(444.74)
25. कर्मचारी लाभों संबंधी व्यय		
(अ) वेतन, मजदूरी एवं अधिलाभ	1,265.92	1,201.65
(ब) ग्रेच्युटी (नोट 34 देखें)	42.61	28.00
(स) भविष्य निधियों में योगदान (नोट 34 देखें)	85.26	81.86
(द) कर्मचारी कल्याण व्यय	40.78	18.15
	1,434.57	1,329.66
26. वित्त लागत		
ऋण पर ब्याज व्यय	450.34	345.06
वैधानिक देय भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	2.84	-
	453.18	345.06
27. मूल्य हास एवं क्षति संबंधी व्यय		
संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण पर मूल्य हास (नोट 12 देखें)	343.66	392.45
घटाईये: पूँजी अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों		
पर मूल्य हास (नोट 12 (अ) देखें)	(113.96)	(114.07)
अमूर्त संपत्तियों की क्षति (नोट 12 देखें)	-	-
	229.70	278.38

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट	विविधियाँ	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सं.			
28. अन्य व्यय			
(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स पार्ट का उपभोग	132.86	135.69
(b)	पॉवर एवं फ्लूल	20.55	22.69
(c)	किराया (नोट 35 देखें)	86.79	84.26
(d)	मरम्मत एवं रख-रखाव - भवन	55.60	62.74
(e)	मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	409.34	481.32
(f)	मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्य	4.77	12.75
(g)	विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	74.00	115.29
(h)	भाडा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	5,353.33	4,890.23
(i)	बीमा	116.91	109.08
(j)	विधिक एवं पेशेवर शुल्क	133.35	134.22
(k)	अंकेक्षकों को भुगतान (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	33.45	32.66
(l)	यात्रा एवं परिवहन	234.77	239.43
(m)	संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	774.43	738.53
(n)	संप्रेषण व्यय	135.71	140.85
(o)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	9.46	17.65
	गतिविधियों के प्रति व्यय (नीचे दिया गया नोट (ii) देखें)	174.01	177.37
(p)	विविध व्यय	7,749.33	7,394.76
नोट: (i)	अंकेक्षकों के पारिश्रमिक वैधानिक अंकेक्षण शुल्क कर अंकेक्षण शुल्क खर्चों की प्रतिपूर्ति उपरोक्त पर माल एवं सेवाकर (GST)	24.50 2.50 1.35 5.10 33.45	24.50 2.50 0.68 4.98 32.66
नोट: (ii)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि: किसी सम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	9.46 9.46	17.65 17.65
	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि अनुवर्ती वर्षों के लिए उपलब्ध समायोजन CSR गतिविधियों की प्रकृति (i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	- -	- -

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
 (सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

विविधियाँ	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष पर
29. प्रति समता अंश आय/(हानि)		
कर के बाद लाभ/(हानि)	773.98	(345.37)
वर्ष के दौरान भारित औसत अदरत		
समता अंशों की संख्या	3,722,351	3,593,424
प्रति समता अंश अंकित मूल्य (रु.)	100.00	100.00
प्रति अंश मूल आय/(हानि) (रु.)	20.79	(9.61)
प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु		
प्रयोग किये गये समता अंश	3,722,619	3,593,424
प्रति अंश डायल्यूटेड आय/(हानि) (रु.) (नीचे नोट को देखें)	20.79	(9.61)

नोट:

गत वर्ष के दौरान हानियों को देखते हुये, प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना में अंश आवेदन राशि के लंबित आवंटन को ध्यान में नहीं रखा गया है। तदअनुसार, प्रति अंश मूल और डायल्यूटेड आय के बीच कोई अंतर नहीं है।

विविधियाँ	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति
-----------	----------------------------	----------------------------

30. आकस्मिक दायित्व

(अ) कम्पनी के सम्मुख दावा जो ऋण के रूप में

स्वीकार नहीं किया गया

मुकदमों के अंतर्गत उपभोक्ता दावे

22.07

14.01

31. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में, दिनांक 05 जुलाई, 2024 को निदेशक मंडल की बैठक में कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रु. 305.78 लाख (रु. 8 प्रति अंश) अंतिम लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया है।

32. कम्पनी ने अपने सदस्यों से रु. 146.88 लाख (31 मार्च, 2023: रु. 66.94 लाख) की अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसके समक्ष {रु. 0.62 लाख (31 मार्च, 2023: रु. 0.02 लाख) निरस्तीकरण को छोड़कर}, 14 मई, 2024 (31 मार्च, 2023: 19 मई, 2023) को आयोजित बोर्ड की बैठक में आवंटन कर दिया गया है।

33. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (Related Party Desclosures)

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप

संबंधित स्वरूप	संबंधित पक्ष का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी	रतन कुमार सिंह (निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी)
(ब) संबंधित पक्ष से लेन-देन की राशि एवं स्वरूप	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर

प्रबंधक पारिश्रमिक:-

रतन कुमार सिंह

92.70

85.20

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स
(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

34. कर्मचारी लाभ योजनायें

अ) निर्धारित योगदान योजनायें

लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति की गई राशि

i. प्राधिकरण को भविष्य निधि में भुगतान

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष पर
85.26	81.86
85.26	81.86

ब) निर्धारित लाभ योजना

ग्रेच्यूटी

कम्पनी एक ग्रेच्यूटी योजना संचालित करती है। प्रत्येक कर्मचारी ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुरूप सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम 15 दिनों के वेतन के बराबर लाभ का पात्र है। यह कम्पनी से अलग होने या सेवानिवृत्त के समय, जो भी पहले हो, पर देय है। यह लाभ 5 साल की निरन्तर सेवा के बाद मिलता है।

i. निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य

वर्ष के प्रारंभ में शेष	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
चालू सेवा लागत	225.56	191.93
ब्याज लागत	33.63	13.55
गत सेवा लागत	16.27	30.09
लाभ का भुगतान	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(6.63)	(9.47)
वर्ष के समापन पर शेष	278.95	225.56

ii. योजना संपत्तियों का उचित मूल्य

वर्ष के प्रारंभ में शेष	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	233.95	211.63
कम्पनी द्वारा योगदान	17.30	15.52
लाभ का भुगतान	24.01	16.68
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(6.63)	(9.47)
वर्ष के समापन पर शेष	268.74	233.95

iii. लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चें

वर्तमान सेवा लागत	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष पर
ब्याज व्यय	33.63	13.55
गत सेवा लागत	16.27	30.09
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(17.30)	(15.52)
कुल व्यय	10.01	(0.13)
	42.61	28.00

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष पर
iv. योजना संपत्तियों पर वास्तविक लाभ	17.30 0.11 17.41	15.52 (0.41) 15.11
v. आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत (संपत्ति) / दायित्व	278.95 268.74 10.21	225.56 233.95 (8.39)
* नोट 11 एवं 19 में प्रकटीकरण		
vi. चालू और पिछले वर्ष में स्वीकृत की गई राशि		

	31.03.2024 को स्थिति	31.03.2023 को स्थिति	31.03.2022 को स्थिति	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
निर्धारित लाभ दायित्वों	278.95	225.56	191.93	163.88	154.87
योजना संपत्तियों (अधिशेष)/कमी	268.74	233.95	211.63	180.84	153.69
योजना दायित्वों में अनुभवों का समायोजन हानि/(लाभ)	10.21	(8.39)	(19.70)	(16.96)	1.18
योजना सम्पत्तियों में अनुभवों का समायोजन (हानि)/लाभ	10.12	(0.54)	(4.60)	22.53	(9.48)
vii. बीमांकिक अनुमान	0.11	(0.41)	0.56	(1.05)	(1.27)
बट्टे की दर					
वेतन वृद्धि दर					
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय					
संघर्षण दर (Attrition rate)					

नोट्स:

- भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि मंहगाई, बीमांकिक मूल्यांकन का अनुमान, मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोन्नतियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों जैसे अन्य रोजगार बाजार की मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखतर किया जाता है।
- उपयोग की जाने वाली बट्टे की दर आर्थिक चिट्ठे की तिथि को सरकारी बोंडों पर प्रतिबद्धताओं की दर के साथ परिपक्वता की शेष शर्तों से कम्पनी के दायित्वों का अनुमान लगाती है।

viii. अगले वर्ष फंड में अपेक्षित योगदान

	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
गेच्युटी	7.20	16.68
ix. कुल योजना संपत्तियों के % रूप में योजना संपत्तियों की प्रमुख श्रेणी	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति
बीमाकर्ता द्वारा निधि प्रबंधन	100%	100%

नोट:

योजना संपत्तियों पर रिटर्न की अपेक्षित दर (भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से) धारित योजना संपत्तियों की संरचना पर आधारित है।

35. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों के लिए परिचालन हेतु लीज व्यवस्था की है। ये लीज व्यवस्था 11 महीने और 9 वर्ष के बीच की अवधि के लिए होती है, जो निरस्त की जा सकती है। अधिकांश लीज पारस्परिक रूप से आपसी शर्तों पर आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण की जा सकती है और इसमें वृद्धि खंड भी शामिल है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लीज भुगतान रु. 86.79 लाख (31 मार्च, 2023 को रु. 84.26 लाख) है।

36. अनुभूमि III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक जानकारी

(अ) विश्लेषणात्मक अनुपात

विवरण		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	परिवर्तन प्रतिशत में	परिवर्तन का कारण
चालू अनुपात	1	1.81	1.65	9.78%	लागू नहीं
ऋण समता अनुपात	2	0.57	0.61	-6.32%	लागू नहीं
ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	3	0.06	0.01	583.30%	गत वर्ष की हानि की तुलना में चालू वर्ष में लाभ कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
अंशों पर प्रत्याय अनुपात	4	0.07	(0.03)	-318.25%	गत वर्ष की हानि की तुलना में चालू वर्ष में लाभ के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
स्टॉक आवर्त अनुपात	5	111.10	145.02	-23.39%	लागू नहीं
व्यापारिक प्राप्त्य आवर्त अनुपात	6	12.26	14.13	-13.26%	लागू नहीं
व्यापारिक देय आवर्त अनुपात	7	22.26	23.92	-6.95%	लागू नहीं
शुद्ध पूँजी आवर्त अनुपात	8	14.73	15.13	-2.65%	लागू नहीं
शुद्ध लाभ अनुपात	9	0.01	(0.00)	-317.67%	गत वर्ष की हानि की तुलना में चालू वर्ष में लाभ के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
नियोजित पूँजी प्रत्याय	10	0.08	(0.00)	-6045.58%	गत वर्ष की हानि की तुलना में चालू वर्ष में लाभ के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
निवेश पर प्रत्याय	11	-	-	-	लागू नहीं

विवरण		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
1. चालू अनुपात			
चालू संपत्तियां		गुणक	23,846.63
चालू दायित्व		भाजक	13,150.00
2. ऋण समता अनुपात			
कुल ऋण		गुणक	6,977.27
अंशधारकों के समता अंश		भाजक	12,269.34
3. ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात			
ऋण सेवा के लिए आय उपलब्ध है।		गुणक	1,730.88
ऋण सेवा		भाजक	27,887.91
(i) ऋण सेवा के लिए आय उपलब्ध है: कर से पूर्व शुद्ध लाभ + मूल्यहास और परिशोधन व्यय + वित्तीय लागत + संपत्ति, प्लांट एवं उपकरणों के विक्रय पर (शुद्ध) नुकसान			1,730.88
(ii) ऋण सेवा: ब्याज और लीज भुगतान + प्रमुख अदायगी			253.53
4. अंशों पर प्रत्याय अनुपात			
कर के पश्चात शुद्ध लाभ		गुणक	773.98
औसत अंशधारकों के समता अंश		भाजक	(345.37)
5. स्टॉक आवर्त अनुपात			
विक्रय		गुणक	11,871.63
औसत विक्रय		भाजक	11,561.86
6. व्यापारिक प्राप्त्य आवर्त अनुपात			
शुद्ध उधार विक्रय		गुणक	145,422.01
औसत खाता लेनदारियां		भाजक	141,249.78
			9,995.07

7.	व्यापारिक देय आवर्त अनुपात कुल खरीद औसत व्यावसायिक देनदारियां	गुणक भाजक	135,602.85 6,092.83	133,462.72 5,579.88
8.	शुद्ध पूँजी आवर्त अनुपात शुद्ध विक्रय औसत कार्यशील पूँजी	गुणक भाजक	145,422.01 9,873.34	141,249.78 9,335.70
9.	शुद्ध लाभ अनुपात शुद्ध लाभ शुद्ध विक्रय	गुणक भाजक	773.98 145,422.01	(345.37) 141,249.78
10.	नियोजित पूँजी प्रत्याय ब्याज और कर से पूर्व की आय नियोजित औसत पूँजी	गुणक भाजक	1,501.18 18,783.99	(24.85) 18,487.39

नोट: 1) निवेश पर रिटर्न अनुपात लागू नहीं है।

(b) अन्य विनियामक जानकारी

(i) कम्पनी के नाम से धारित नहीं अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

कम्पनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए, यह कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी संव्यवहार अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार बेनामी संपत्ति रखने के लिए कम्पनी पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है या ना ही लंबित है।

(iii) चालू संपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित ऋण

कम्पनी ने चालू संपत्तियों की प्रतिभूति के सम्मुख बैंकों से ऋण लिया है। कम्पनी ने ऐसे बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या विवरण दर्ज नहीं किया है क्योंकि स्वीकृत पत्र/ऋणदाता के अनुबंध के अनुसार तिमाही रिटर्न की आवश्यकता नहीं है।

(iv) स्वेच्छिक चूककर्ता

कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(v) बंद (Struck off) कंपनियों के साथ संबंध

कम्पनी अधिनियम, 2013 या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बंद हुई कंपनियों के साथ कम्पनी का कोई लेनदेन नहीं है।

(vi) कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रभारों अथवा ऋणमुक्ति का पंजीकरण

ऐसा कोई प्रभार अथवा ऋण नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर्ड किया जाना बाकी है।

(vii) कम्पनी के विभिन्न स्तरों (Layers) की अनुपालना

कम्पनी ने किसी भी सहायक कम्पनी में निवेश नहीं किया है, इसलिए, यह कम्पनी पर लागू नहीं है।

(viii) व्यवस्थाओं (Arrangements) की अनुमोदित योजनाओं की अनुपालना

कम्पनी ने व्यवस्था की किसी भी योजना में भाग नहीं किया है।

(ix) ऋण निधि और प्रतिभूतियों के प्रीमियम का उपयोग

कम्पनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्तियों या ईकाईयों को इस समझ के साथ निधि अप्रिम या ऋण या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ :

-कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से चयनित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दे या निवेश करें।

-अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करें।

कम्पनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या ईकाई से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप से दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कम्पनी:

-फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी तरीके से चयनित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दे या निवेश करें।

-अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करें।

(x) अप्रकटीकृत आय

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, कर निर्धारण में चालू या गत वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या प्रकटीकरण की गई कोई आय नहीं है, जिसे लेखा पुस्तिकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(xi) निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण या अग्रिम

कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

(xii) क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा का विवरण

कम्पनी ने चालू या गत वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया गया है।

(xiii) संपत्ति, प्लांट और उपकरण, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति का मूल्यांकन

कम्पनी ने चालू या गत वर्ष के दौरान संपत्ति, प्लांट और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। कम्पनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।

(xiv) बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण का उपयोग

कम्पनी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण को उन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है जिनके लिए ऐसे ऋण लिये गये थे।

37. खंड रिपोर्टिंग (Segment Reporting)

कम्पनी के व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में पहचाना है। लेखा मानक 17-खंड रिपोर्टिंग के अनुसार, कम्पनी ने अपने व्यवसाय खंड को दूध, दूध उत्पादों और पशु आहार का व्यापार के रूप में निर्धारित किया है। क्योंकि कम्पनी का सम्पूर्ण व्यवसाय दूध, दूध उत्पादों और पशु आहार के व्यापार से है, इसलिए कोई अन्य प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। इस प्रकार, खंड राजस्व, खंड परिणाम, खंड संपत्तियों का कुल वहन मूल्य, खंड दायित्वों कुल वहन मूल्य, खंड संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए की गई कुल लागत, वर्ष के दौरान मूल्य हास और परिशोधन के शुल्क की कुल सभी राशि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में परिलक्षित है। आगे, चूंकि कम्पनी का सम्पूर्ण राजस्व भारत से उत्पन्न होता है, इसलिए भौगोलिक द्वितीय खंड के प्रकटीकरण लागू नहीं होते हैं।

38. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद कर्मचारी लाभ से संबंधित है, जिसे 28 सितम्बर, 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, जिस दिनांक को संहिता के प्रावधान लागू होंगे, उसे अधिसूचित नहीं किया गया है। संहिता और संबंधित योजनाओं/नियमों के प्रभावी होने पर कम्पनी इसके प्रभाव का आंकलन करेगी। कम्पनी प्रभाव का आंकलन तब करेगी जब संहिता और संबंधित योजनाओं/नियमों के प्रभावी होंगे। आज तक प्रभावी दिनांक को अधिसूचित लंबित होने के कारण, इन वित्तीय विवरणों में इसका कोई प्रभाव लेखांकित नहीं किया गया है।

39. 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के पास विदेशी मुद्रा में कोई आय, विदेशी मुद्रा में व्यय, पूँजी प्रतिबद्धताएं और विदेशी मुद्रा शेष नहीं हैं। इसलिए, इन वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई प्रकटीकरण सम्मिलित नहीं है।

40. गत वर्ष के आंकड़े

वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

**कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड**

कृते प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016

ह./-
संदीप चड्ढा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 096137

ह./-
ममता चौधरी
निदेशक
डी.आई.एन.-08842062

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. FCS 5302

ह./-
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.-08075740

ह./-
कपिल पचौरी
प्रमुख - वित्त एवं लेखा

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.-00142430

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 05 जुलाई, 2024

स्थान : जयपुर
दिनांक : 05 जुलाई, 2024

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

सूचना-पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की 13वीं वार्षिक आम सभा सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12.15 बजे हेडवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 पर निम्न कार्यों के लिये होगी:-

- 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिठ्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
 ''दिनांक 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिठ्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''
- कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी पर रु. 8/- - प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 3822279 समता अंशों पर रु. 3,05,78,232/- - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''
- श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.-09286071), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.-09286071), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''
- श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-08842062), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-08842062), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''
- श्री भगवन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री भगवन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''
- कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
 ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142, 378ZA(4)(e) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेक्षकों और ऑफिट) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों

सहित पुर्न-अध्यादेश) के साथ पढ़े जाने के अनुसार, मैसर्स प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016) को पारिश्रमिक रूपये 24,50,000 (अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रुपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।"

7. 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-

“1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

8. कम्पनी की पाँचवीं वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 09 / 2016-17 में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना :-

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी की 5वीं वार्षिक आम सभा में पारित पूर्व प्रस्ताव संख्या 09 / 2016-2017 दिनांक 19.09.2016 के आंशिक संशोधन और अनुच्छेद 6.4 तथा कम्पनी के अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA (पूर्ववर्ती कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के अनुरूप) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (समय पर किये गये संशोधनों के साथ लागू होने वाले) के अनुसार तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, अनुज्ञाओं के साथ ऐसे ही कम्पनी के सदस्य, बोर्ड को कम्पनी द्वारा सममूल्य पर अंशों को जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है और तदुसार प्रीमियम मूल्य पर अंशों के निर्मान को, ऐसे नियमों और शर्तों तथा समय पर समाप्त करने, जैसाकि बोर्ड निर्धारित करता है और कम्पनी द्वारा जारी किये गये अंशों को क्रय और जारी किये गये अंशों का सदस्यों से समर्पण स्वीकार, सममूल्य या बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य मूल्य पर करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव अंशधारकों की बैठकों में पूर्व पारित किसी भी प्रस्ताव के संबंध में संशोधित सीमा तक, पूर्व प्रस्तावों पर प्रभावी रहेगा।

इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, बोर्ड को अंशों के निर्मान तथा आवंटन करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलों में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सही और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा इस प्रस्ताव के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड, मामलों और वस्तुएं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि बोर्ड उचित समझता है, के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

बोर्ड को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों की समिति या कम्पनी के अधिकारियों को प्रत्यायोजन (Delegate) करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”

9. कम्पनी की दसवीं वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 11 / 2021-22 के संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी की 10वीं वार्षिक आम सभा में पारित पूर्व प्रस्ताव संख्या 11 / 2021-2022 दिनांक 27.10.2021 के आंशिक संशोधन और अनुच्छेद 6.8, अनुच्छेद 8 तथा कम्पनी के अंतर्नियमों के लागू होने वाले अन्य अनुच्छेदों, कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (समय पर किये गये संशोधनों के साथ लागू होने वाले) के अनुसार तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों, अनुज्ञाओं और अन्य कार्यों के लिए कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन के लिए आवश्यक होगा और कम्पनी के बोर्ड को एक दिनांक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जिसके पश्चात अंशों के क्रय या समर्पण का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सममूल्य या अंश प्रीमियम मूल्य के साथ, कम्पनी अधिनियम और आयकर अधिनियम सहित लागू अधिनियमों के अधीन स्वीकार किया जायेगा, जैसाकि नीचे दिया गया है:

1. सदस्य, जिन्होंने सममूल्य पर अंश क्रय किये हैं तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को पूरा किया है, वह क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के साथ, क्रय या समर्पण के समय अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
2. सदस्य, जिन्होंने सममूल्य पर अंश क्रय किये हैं तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को पूरा नहीं किया है, वह अंशों के क्रय या समर्पण के समय, क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के पात्र होंगे।
3. सदस्य, जिन्होंने आंशिक अंश सममूल्य तथा आंशिक अंश प्रीमियम मूल्य पर प्राप्त किये हैं तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों

के लिए सदस्यता मापदंडों को पूरा किया है, वह क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के साथ, क्रय या समर्पण के समय अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4. सदस्य, जिन्होंने आंशिक अंश सममूल्य तथा आंशिक अंश प्रीमियम मूल्य पर पर प्राप्त किये हैं तथा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को पूरा नहीं किया है, वह क्रय या समर्पण के समय सममूल्य वाले अंशों के लिए सममूल्य प्राप्त करने तथा प्रीमियम के साथ लिये गये अंशों के सममूल्य के साथ अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
5. सदस्य, जिन्होंने अंश प्रीमियम मूल्य के साथ प्राप्त किये हैं उनके द्वारा सदस्यता की तिथि से 5 वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता मापदंडों को ध्यान में न रखते हुये क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के साथ क्रय या समर्पण के समय अंश प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे।
6. सदस्य जो बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात, सममूल्य पर कम्पनी के अंश क्रय करेंगे वे अंशों के क्रय या समर्पण के समय, क्रय या समर्पण किये गये अंशों के सममूल्य के पात्र होंगे।

बोर्ड को योग्य मामलों में निर्दिष्ट मापदंडों/शर्तों/परिस्थितियों के आधार पर अंश प्रीमियम वापिस करने के लिए उपरोक्त शर्तों को संशोधित/माफ करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

सदस्यों को वापिस किये जाने वाले अंश प्रीमियम राशि को मूल्यांकन की उपयुक्त पद्धति के आधार पर तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की गई नियमों व शर्तों पर निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव, अंशधारकों द्वारा सदस्यों की बैठकों में पारित किसी भी पूर्व प्रस्ताव के संबंध में संशोधित सीमा तक, उक्त पूर्ववर्ती प्रस्तावों पर प्रभावी होगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, निदेशक मंडल को अंशों का क्रय और अंशों के समर्पण स्वीकार करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, दस्तावेज, मामलों में पूर्ण स्वविवेकानुसार, सही और वांछनीय जो भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक हो तथा समर्पण/क्रय के संबंध में प्रश्नों, संदेह व समस्याओं का विवेकानुसार निष्पादन करने तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड, मामलों और वस्तुओं के लिए, ऐसे सभी व्यवहारों दस्तावेजों तथा जो भी आवश्यक, वांछनीय एवं व्यावहारिक जैसा कि निदेशक मंडल उचित समझता है, के लिए अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल को उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्राप्त सभी अधिकारों या कोई भी अधिकार, किसी भी निदेशक या निदेशकों या अधिकारियों की समिति को प्रत्यायोजन करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

10. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ प्रतिनियुक्त व्यवस्था (Secondment Arrangement) पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के अनुच्छेद के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ प्रतिनियुक्त व्यवस्था (Secondment Arrangement) /अनुबंध करने और प्रतिनियुक्त व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन के पुष्टिकरण के लिए सदस्यों का अनुमोदन और प्रतिनियुक्त व्यवस्था के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/अनुबंध करने और/या जारी रखने के लिए प्रदान किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा इस व्यवस्था/अनुबंध को समाप्त करने के लिए आम सभा में सदस्यों की पूर्व सहमति की आशयकता होगी।

बोर्ड को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड के लिए अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

11. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") को दूध की आपूर्ति पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के अनुच्छेद के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के भाग XXIA के लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी दूध की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ

लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/अनुबंध के लिए दिनांक 05 अप्रैल 2024 को एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ किये गये आपूर्ति अनुबंध का अनुमोदन किया था जिसमें किसी भी संशोधन, परिवर्तन और विस्तार सम्मिलित है।

बोर्ड को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही, डीड के लिए अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./-
(अनूप गुप्ता)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: FCS 5302

स्थान : जयपुर

दिनांक : 09 अगस्त, 2024

नोट्स:-

- कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।
- प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2023–2024 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
- कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागेदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वर्गीकृत करने का मापदंड सातवीं वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया था।
- सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार:-

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2023–24), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 88560 सदस्य दर्ज थे, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2023–24 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार है:-

- वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, “श्रेणी ए” के 2966 सदस्य, “श्रेणी बी” के 5582 सदस्य और “श्रेणी सी” के 16572 सदस्य (कुल 25120 सदस्य) जिन्होने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तों के साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तों को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 11 इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के अधिकारी होंगे।
(नोट-कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (“श्रेणी ए” अथवा “श्रेणी बी” अथवा “श्रेणी सी”) के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है।)
- 5159 सदस्य जिन्होंने कम्पनी की आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होंने दूध आपूर्ति के लिए सर्दी-गर्मी के अनुपात की शर्तों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूरा नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 4 एवं 5) पर वोट नहीं कर सकते हैं परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते हैं।
- कुल 57081 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं की इसलिए, उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकारी नहीं है। हांलाकि, वे वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र हैं।

- (d) कुल 1200 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2024 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। हांलाकि, वे वित्तीय वर्ष 2023–2024 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में अनुमोदित होता है, के पात्र होंगे।
- (e) दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल 2976 नये सदस्य सम्मिलित किये गये हैं और उनमें से 1 सदस्य ने अपनी सदस्यता समर्पण कर दी है, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के लाभांश के पात्र नहीं होंगे एवं उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार भी नहीं है।
- (f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके द्युध संकलन केन्द्र के अनुसार 13वीं वार्षिक आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।
- (g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिससे सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सके, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।
5. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः-
- निदेशक के पद हेतु चयन के लिए प्रत्येक प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं सहित।
 - दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को सम्पन्न हुई 12वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।
 - 31 मार्च, 2024 को अंकेक्षित आर्थिक चिठ्ठा एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ-हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों का रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।
 - वित्तीय वर्ष 2024–2025 का बजट।
6. मद संख्या 8,9,10 एवं 11 के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को व्याख्या करने के लिए व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) सूचना पत्र के साथ संलग्न है।
7. इस सूचना पत्र और व्याख्यात्मक विवरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यादिवसों में प्रातः 11:00 से सांयः 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।
8. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर आम सभा में अनुमोदित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।
9. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई 12वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।
10. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बारहवीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करें।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।
13. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार अदावाकृत या असंदत्त लाभांश की राशि को अनपेड डिविडेंड खातें में हस्तान्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित करना आवश्यक है। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट www.payasmilk.com पर अदावाकृत या असंदत्त राशि को देख सकते हैं। सदस्यों से निवेदन है कि वे अदावाकृत या असंदत्त की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित करने से पूर्व कम्पनी से दावा कर सकते हैं।
14. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।
15. सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी पहचान के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।
16. बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.paayasmilk.com पर उपलब्ध है।

आगामी आम सभा में नियुक्त/पुनःनियुक्ति होने वाले निदेशकों का विवरण (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4)(c) और आम सभा पर सचिवीय मानकों के अनुसार)।

कार्यसूची सं. 3, 4 और 5

बोर्ड ने नामांकन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.-09286071), जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है), श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-08842062), जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करती है) और श्री भागचन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं) को कम्पनी के निदेशक पुनःनियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

	श्रीमती सुनिता शर्मा	श्रीमती ममता चौधरी	श्री भागचन्द
उम्र :	34	35	35
शैक्षिक योग्यता :	कला में स्नातक (बी.ए.)	कला में स्नातक (बी.ए.) बी.एड	12वीं उत्तीर्ण
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन में 15 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 16 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 15 वर्ष का अनुभव
नियुक्ति के नियम व शर्तें :	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग और अंतिम आहरित पारिश्रमिक :	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की स्थिति :	27 अक्टूबर, 2021	04 दिसम्बर, 2020	27 अक्टूबर, 2021
गत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लिया की संख्या :	6	7	7
धारित अंशों की संख्या :	219	73	97
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं	संबंधित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :	एक	दो	एक

बोर्ड के आदेशानुसार पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./-

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

सदस्यता संख्या-FCS 5302

स्थान : जयपुर

दिनांक : 09 अगस्त, 2024

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना-पत्र दिनांक 09 अगस्त, 2024 में दी गई मद संख्या 8, 9, 10 और 11 से संबंधित)

मद संख्या : 8

कम्पनी की 5वीं वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या 5th 19-09-2016: 9/2016-2017 तथा लागू होने वाले आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कम्पनी, उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value) जोकि एक प्रतिशित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म से उचित मूल्यांकन पद्धति (Appropriate Valuation Methodology) पर आधारित होगा, अंशों को प्रीमियम पर निर्मान करने का निर्णय लिया था। प्रीमियम को निर्धारित करने वाला मूल्यांकन, कम्पनी अधिनियम, आयकर अधिनियम और अन्य अधिनियम के अधीन होकर वैध और प्रभावी रहेगा।

वर्तमान में, राज्य सरकार केवल आरसीडीएफ दुर्घ संघों, जो हमारी प्रतिस्पर्धी हैं, से जुड़े दूध उत्पादकों को रु. 5 प्रति लीटर (सहकारी दुर्घ संघों द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दूध उत्पादक मूल्य) के अतिरिक्त की अनुदान राशि दे रही है। कम्पनी द्वारा अनुदान की बड़ी राशि को देने में असमर्थता के कारण, कम्पनी की सदस्यता और दूध सकलन की मात्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसलिए कम्पनी के लिये दुर्घ सकलन मूल्य अप्रतिस्पर्धात्मक हो गया है और दूध उत्पादक कंपनी की सदस्यता लेने में इच्छुक नहीं है और वर्तमान सदस्यों द्वारा सदस्यता समर्पण करने की संभावना है। सदस्यता आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से तथा नई सदस्यता और कम्पनी द्वारा जारी अतिरिक्त अंशों की लागत में कमी करने के लिये सदस्यों से प्राप्त सुझावों के परिणामस्वरूप, बोर्ड ने यह प्रस्तावित किया है कि भविष्य में कम्पनी अपने सदस्यों को सममूल्य पर तथा ऐसे नियमों और शर्तों तथा ऐसे समय पर अंश जारी कर सकती है जैसाकि बोर्ड निर्धारित करें, हालांकि यह कम्पनी अधिनियम, आयकर अधिनियम सहित लागू अधिनियमों के अधीन होगा।

यह प्रस्ताव बोर्ड द्वारा तथा की गई दिनांक से प्रभावी होगा तथा वार्षिक आम सभा में पूर्व पारित संबंधित विशेष प्रस्तावों में संशोधन होगा।

आगे, अंशधारकों द्वारा पूर्व में पारित किए गए प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को कम्पनी की आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके अंशधारकों द्वारा पूर्व पारित प्रस्तावों में आंशिक संशोधित और अनुमोदन किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशक / अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का कम्पनी में उनकी संबंधित अंशधारिता की सीमा को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 8 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 9

दिनांक 19.09.2016 को अयोजित 5वीं वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या 9/2016-17 के अंतर्गत जो भी सदस्य कम्पनी सदस्यता के लागू होने वाले मापदंडों को सदस्यता की तिथि से 7 वित्तीय वर्षों तक पूरा करता है तो उन सदस्यों को अंशों का क्रय अथवा समर्पण के साथ-साथ प्रीमियम पर की राशि भी देय होती है। हालांकि, सदस्यों की सुविधा के लिए 10वीं वार्षिक आम सभा में पारित पूर्व प्रस्ताव संख्या 11/2021-2022 दिनांक 27.10.2021 के अंतर्गत सात वर्ष की उक्त समयावधि को कम करके पाँच वर्ष कर दिया गया है।

सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस की मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, कम्पनी प्रीमियम मूल्य पर अंशों को निर्मान बंद कर सकती है एवं केवल सममूल्य पर अंश जारी कर सकती है, इसलिए बोर्ड की ओर से यह प्रस्तावित करता है कि भविष्य में कम्पनी अंशों का क्रय या अंशों का समर्पण, पूर्ण या आंशिक रूप से, कम्पनी अधिनियम, आयकर अधिनियम सहित लागू अधिनियमों के अधीन इस विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी सममूल्य या बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि के साथ कर सकती है। सममूल्य पर या प्रीमियम राशि के साथ पूर्ण या आंशिक रूप से अंशों का समर्पण स्थीकार कर सकती है।

यह प्रस्ताव बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई दिनांक से प्रभावी होगा तथा वार्षिक आम सभा में पूर्व पारित संबंधित विशेष प्रस्ताव का स्थान लेगा।

आगे, अंशधारकों द्वारा पूर्व में पारित किए गए प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को कम्पनी की आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके अंशधारकों द्वारा संशोधित और अनुमोदन किया जा सकता है।

कम्पनी के निदेशक / अधिकारियों अथवा उनके सम्बन्धियों का कम्पनी में उनकी संबंधित अंशधारिता की सीमा को छोड़कर, इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 9 में दिये गये विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 10

NDS द्वारा कम्पनी को प्रारम्भ से ही उसकी सम्पूर्ण सेवाओं के लिये सहायता प्रदान कर रही है जिसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना है। NDS ने कम्पनी के निदेशकों को अभिशासन, संस्था निर्माण, वित्तीय और परिचालन संबंधी मामलों पर शिक्षित करने में सहायता की है। भारत में डेयरी उद्योग में तेजी से बदलते वाणिज्यिक और आर्थिक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, कम्पनी को मुख्य कार्यकारी (CE) की आवश्यकता है जो कम्पनी के विकास और वृद्धि के विभिन्न चरणों को संभालने में विशेषज्ञता रखता हो। किसान स्वामित्व वाले ग्रामीण स्टार्टअप के लिए मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करने के इच्छुक अनुभवी पेशेवर व्यक्ति का चयन करने के लिए, कम्पनी ने NDS के साथ एक व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत NDS के एक अधिकारी को बोर्ड द्वारा कम्पनी का मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा। इससे कम्पनी के मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति में निरन्तरता एवं स्थिरता सुनिश्चित होगी और कम्पनी के कार्यों

का सुचारू प्रबंधन होगा। बोर्ड की दिनांक 05.07.2024 को आयोजित हुई 72वीं बैठक में NDS के साथ प्रतिनियुक्ति व्यवस्था (Secondment Arrangement) में निष्पादन करने का अनुमोदन किया है और अध्यक्षा को प्रतिनियुक्ति व्यवस्था को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

NDS के साथ प्रतिनियुक्ति (Secondment) अनुबंध की मुख्य शर्त यह है कि इस व्यवस्था को कम्पनी की आगामी आम सभा में अंशधारकों के अधीन अनुमति लेनी होगी। अनुबंध की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

- सम्मिलित पक्षः एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली, भारत में पंजीकृत एक गैर लाभकारी कम्पनी और पायस एमपीसी
- यह अनुबंध निष्पादन की दिनांक से प्रभावी हो जाता है और आम सभा में कम्पनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है।
- कम्पनी का मुख्य कार्यकारी के कार्य पर पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण होगा और मुख्य कार्यकारी कम्पनी में मुख्य कार्यकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कम्पनी के नियमों और नीतियों का पालन करेंगे।
- NDS द्वारा मुख्य कार्यकारी की प्रदान की गई सेवाओं के लिये, कम्पनी NDS को, NDS द्वारा मुख्य कार्यकारी को दिये गये वेतन एवं उससे संबंधित खर्चों को कवर करने के लिये फीस का भुगतान करेगी।
- लिखित नोटिस देकर दोनों पक्षों में से कोई भी इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। हालांकि, यदि पायस एमपीसी इस अनुबंध को समाप्त करना चाहती है तो उसे आम सभा में कम्पनी के सदस्यों की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
- कम्पनी, प्रतिनियुक्ति (Secondment) के दौरान हस्तांतरित (Assignee's) के कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या नुकसान के लिये NDS को क्षतिपूर्ति करेगी।

प्रारूप/निष्पादित अनुबंध की एक प्रति पायस एमपीसी के रजिस्टर्ड कार्यालय में आम सभा की दिनांक तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 10 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 11

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') को कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के भाग IX-A के अंतर्गत 19.05.2012 को प्रोड्यूसर कम्पनी के रूप में निर्गमन किया गया है।

कम्पनी का उद्देश्य मुख्य रूप से सदस्यों व अन्य लोगों से दूध एवं दूध उत्पादों को एकत्रित करना और प्रोसेसिंग एवं उनका विपणन करना और ऐसी गतिविधियां करना जो उससे संबंधित किसी भी गतिविधि का भाग हो या या उससे संबंधित हों।

कम्पनी, संकलित किये गये दूध की आपूर्ति मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड को कर रही थी। कम्पनी के निर्गमन के बाद से एवं संचालन के प्रारम्भ से ही, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज कम्पनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। दूध आपूर्ति अनुबंध मदर डेयरी के साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया है।

अप्रैल 2024 से, कम्पनी ने दूध एवं दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ अनुबंध करार किया है।

अनुबंध की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

- प्रमुख प्रतिस्पर्धा के साथ बैंचमार्क किये गये लाभकारी उत्पादक मूल्य
- गुणवत्ता और संस्थागत मापदंडों के अनुपालना के लिए प्रोत्साहन राशि
- समय पर भुगतान
- अनुमानित मात्रा खरीदने की प्रतिबद्धता
- वर्ष भर बाजार तक पहुँच
- परस्पर सहमति से ऑवरहेड और मार्जिन

कम्पनी ने अप्रैल 2024 से एनडीएस के साथ दूध आपूर्ति अनुबंध करार किया है और दिनांक 05 अप्रैल 2024 से एनडीएस को दैनिक आधार पर दूध की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी है तथा बोर्ड ने दिनांक 14 मई, 2024 को एनडीएस के साथ अनुबंध करने का भी अनुमोदन दे दिया है।

निदेशक मंडल, सूचना पत्र में वर्णित मद संख्या 11 में दिये गये सामान्य प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

स्थान : जयपुर
दिनांक : 09 अगस्त, 2024

बोर्ड के आदेशानुसार^{ह/-}
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(अनूप गुप्ता)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या-FCS 5302

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 राजस्थान में
सदस्यों की 12वीं वार्षिक आम सभा, सोमवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9:00 बजे को आयोजित हुई
जिसकी कार्यवाही विवरण का विवरण निम्न है:-

बैठक में उपस्थित सदस्यः -

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 1. | श्रीमती ममता चौधरी | - अध्यक्षा, अध्यक्षा (हितधारक संबंधित समिति) एवं अंशधारक |
| 2. | श्री सेडमल शर्मा | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 3. | श्रीमती गीता देवी गुर्जर | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 4. | श्री नारायण लाल गुर्जर | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 5. | श्री लादू लाल | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 6. | श्रीमती सुनिता शर्मा | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 7. | श्री भागचन्द | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 8. | श्रीमती चन्दा यादव | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 9. | श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 10. | श्री हनुमान चौधरी | - निदेशक एवं अंशधारक |
| 11. | श्री रतन कुमार सिंह | - निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी |
| 12. | श्री अनूप गुप्ता | - कम्पनी सचिव |
- (a) श्रीमती ममता चौधरी ने प्रातः 09:00 बजे बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।
- (b) तत्पश्चात्, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 3312 अंश वाले 29 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 18477 अंश वाले 192 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थिति थे। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, बैठक के लिए अपेक्षित कोरम 24041 सदस्य है।
- (c) अध्यक्षा ने अवलोकन किया कि बैठक के लिए अपेक्षित कोरम 24041 सदस्य, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378Y के अनुसार कोरम को पूरा करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या, उपस्थित नहीं थी। तत्पश्चात्, कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 की आवश्यकताओं के अनुसार, अध्यक्षा ने अधिक सदस्यों द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए आधा घंटे तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।
- (d) श्रीमती ममता चौधरी ने प्रातः 09:30 बजे बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।
- (e) तत्पश्चात्, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 4426 अंश वाले 43 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 24206 अंश वाले 306 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थिति थे। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, बैठक के लिए अपेक्षित कोरम 24041 सदस्य है।
- (f) अध्यक्षा ने यह अवलोकन किया कि कोरम अभी भी पूर्ण नहीं है और यह घोषित किया गया कि कम्पनी के सदस्यों की बारहवीं वार्षिक आम सभा को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार स्थगित किया जाता है और अपने निर्धारित समय से 3 घंटे के पश्चात आज के दिन और इसी स्थान पर पुनः एकत्रित होंगे।
- (g) उपस्थित सदस्य बैठक के स्थान पर दोपहर 12:00 बजे पुनः एकत्रित हुए। श्रीमती ममता चौधरी, अध्यक्षा ने बैठक की अध्यक्षता की। कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 4426 अंश वाले 43 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 24206 अंश वाले 306 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थिति थे।
- अध्यक्षा ने अवलोकन किया कि कोरम के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या अभी भी पूर्ण नहीं थी। तत्पश्चात्, अध्यक्षा ने कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 की आवश्यकताओं के अनुसार, आधा घंटा तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।
- (h) अध्यक्षा ने दोपहर 12:30 बजे, कम्पनी सचिव से पुष्टि के पश्चात्, यह घोषणा कि कि 4426 अंश वाले 43 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 24206 अंश वाले 306 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को, कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, बैठक के लिए कोरम के रूप में माना जाएगा। इसके बाद आम सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
- (i) अध्यक्षा महोदय ने बारहवीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, अध्यक्षा महोदय ने कम्पनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घकृष्टि को पढ़कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।
- (j) अध्यक्षा ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि श्री विजय सिंह मीणा, श्री सौगत मित्रा, प्रो. माधवी मेहता निदेशक बैठक में उपस्थित नहीं हो

सके। अध्यक्षा ने सदस्यों को यह भी बताया कि लेखा अंकेक्षकों ने बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी और कम्पनी से अनुपस्थिति की अनुमति की इच्छा व्यक्त की।

- (k) कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की अंशधारिता का रजिस्टर, वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर जांच के लिए उपलब्ध थे। उपस्थिति सदस्यों की सर्व सम्मति से बाहरी वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कम्पनी की लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी / योग्यता नहीं थी और इसलिए लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट को भी पढ़ा हुआ मान लिया गया है।
- (l) अध्यक्षा महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं उत्पादक सदस्यों के लाभ के लिए की जाने वाली गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।
- (m) तत्पश्चात्, अध्यक्षा महोदय की सलाह पर, श्री अनुप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।
1. 31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिठ्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
- 1.1 श्रीमती धोली देवी (फोलियो संख्या: 99325) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
- प्रस्ताव संख्या 1 / 2023-2024-12वीं वार्षिक आम सभा / 18.09.2023**
- “दिनांक 31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिठ्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।”
- श्रीमती यिमला देवी (फोलियो संख्या: 99333) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
- अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
2. कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
- 2.1 श्रीमती सजना देवी (फोलियो संख्या: 99328) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
- प्रस्ताव संख्या 2 / 2023-2024-12वीं वार्षिक आम सभा / 18.09.2023**
- “प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूँजी पर रु. 7/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संचय एवं अधिशेष में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 3769204 समता अंशों पर रु. 2,63,84,428/- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”
- श्रीमती नैना देवी (फोलियो संख्या: 218034) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
- अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
3. श्री लादू लाल (डी.आई.एन.-08856442), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
- 3.1 श्री भंवर लाल (फोलियो संख्या: 31262) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
- प्रस्ताव संख्या 3 / 2023-2024-12वीं वार्षिक आम सभा / 18.09.2023**
- “प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री लादू लाल (डी.आई.एन.-08856442), जो बोर्ड में “श्रेणी बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।”
- श्री जगदीश (फोलियो संख्या: 120446) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
- अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।
4. श्री सेडमल शर्मा (डी.आई.एन.-07255050), जो बोर्ड में “श्रेणी सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-
- 4.1 श्रीमती शिमला देवी (फोलियो संख्या: 241853) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-
- प्रस्ताव संख्या 4 / 2023-2024-12वीं वार्षिक आम सभा / 18.09.2023**

‘‘प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्री सेडमल शर्मा (डी.आई.एन.-07255050), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्री मुकेश कुमार गढ़वाल (डी.आई.एन.-10239469), जो ‘‘श्रेणी सी’’ के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।’’

श्रीमती धापू देवी (फोलियो संख्या: 97931) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी सी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. **श्रीमती गीता देवी गुर्जर (डी.आई.एन.-07573959)**, जो बोर्ड में ‘‘श्रेणी सी’’ के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत हो रहे हैं, के स्थान पर नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
श्रीमती काली (फोलियो संख्या: 100447) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 5 / 2023-2024-12वीं वार्षिक आम सभा / 18.09.2023

‘‘प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती गीता देवी गुर्जर (डी.आई.एन.-07573959), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगी तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्रीमती अनिता चौधरी (डी.आई.एन.-10239475), जो ‘‘श्रेणी सी’’ के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।’’

श्री कैलाश (फोलियो संख्या: 57157) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी सी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. **कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निधारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-
श्री ललित खाती (फोलियो संख्या: 82813) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-**

प्रस्ताव संख्या 6 / 2023-2024-12वीं वार्षिक आम सभा / 18.09.2023

‘‘प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142, 378ZA(4)(e) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेक्षकों और ऑडिटर) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) के साथ पढ़े जाने के अनुसार, मैसर्स प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या-012754N/N500016) को पारिश्रमिक रूपये 24,50,000 (अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रुपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।’’

श्रीमती कुन्दन कंवर (फोलियो संख्या: 97920) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. **1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :-**

- 7.1 **श्री लक्ष्मण गुर्जर (फोलियो संख्या: 131008)** ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 7 / 2023-2024-12वीं वार्षिक आम सभा / 18.09.2023

‘‘1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतदद्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।’’

श्री बहादुर सिंह रावत (फोलियो संख्या: 103733) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. **अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अध्यक्ष ने आम सभा का समाप्ति किया और उपस्थित सभी अंशधारकों को ध्यानपूर्वक सुनने, सहयोग, बहुमूल्य समर्थन और समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित दिया। आम सभा दोपहर: 01.00 बजे सम्पन्न हुई।**

ह. / -

अध्यक्ष

दिनांक : 28 सितम्बर, 2023

स्थान: जयपुर

दिनांक 28 सितम्बर, 2023 को कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि की गई।

ह. / -

कम्पनी सचिव द्वारा आद्याक्षर

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2024–2025 का बजट

(अ) आयगत बजट

विवरण		
(अ) आय		
दुध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	759,371
व्यापार (दुध एवं दुध उत्पाद)	रुपये लाखों में	149,403
पशु आहार एवं एआई से योगदान	रुपये लाखों में	395
अन्य आय	रुपये लाखों में	810
(ब) व्यय		
माल की लागत (परिवर्तन सहित)	रुपये लाखों में	132,478
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	18,119
कुल व्यय	रुपये लाखों में	150,598
कर से पूर्व लाभ (अ-ब)	रुपये लाखों में	10
	% विक्रय पर :	0.01%

पूँजीगत बजट 2024–2025

विवरण		राशि
प्लांट एवं मशीनरी	रुपये लाखों में	458
ऑफिस उपकरण	रुपये लाखों में	25
आई.टी. उपकरण	रुपये लाखों में	413
लैब उपकरण	रुपये लाखों में	115
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रुपये लाखों में	50
कुल	रुपये लाखों में	1061

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

सदस्य
कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12.15 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 पर होने वाली 13वीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

अंश धारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर*
*जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

फार्म संख्या एम.जी.टी.-11

प्रतिनिधि प्राप्ति (Proxy Form)

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

मैं/हम पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के अंशों का सदस्य होते हुये एतद्वारा

(1) श्री/श्रीमती फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

पता
.....

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर: या उनकी अनुपस्थिति में
(2) श्री/श्रीमती फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

पता
.....

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर: या उनकी अनुपस्थिति में
(3) श्री/श्रीमती फोलियो संख्या :

--	--	--	--	--	--

पता
.....

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर:

को कम्पनी की सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12.15 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड, आगरा रोड, जयपुर-302027 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली 13वीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के संबंध में वोट डालने (मतदान) के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ:

क्र.सं.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिठ्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
2	कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) रूपये 8 प्रति अंश पर विचार एवं घोषणा करना।			
3	श्रीमती सुनिता शर्मा (डी.आई.एन.-09286071), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है।			
4	श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.-08842062), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती है।			
5	श्री भागचन्द (डी.आई.एन.-09286255), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।			
6	कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों मैसर्स प्राइस वॉटरहाउस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।			
7	1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना।			
8	कम्पनी की पाँचवी वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 09/2016-17 में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना।			
9	कम्पनी की दसवी वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या 11/2021-22 के संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना।			
10	एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") के साथ प्रतिनियुक्त व्यवस्था (Secondment Arrangement) पर विचार कर अनुमोदन करना।			
11	एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ("NDS") को दूध की आपूर्ति पर विचार कर अनुमोदन करना।			

दिनांक 2024 को हस्ताक्षरित किये गये।

₹ 1/-
रेवन्यू टिकिट


(अंशधारक (कों) के हस्ताक्षर)

(प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर)

नोट: यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए वर्णित बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए।

13वीं वार्षिक आमसभा स्थल के मार्ग का नक्शा

आमसभा स्थल
हेडवा हेवन रिसोर्ट
जामडोली चौगाहा से जयसिंहपुरा खोर रोड,
आगरा रोड, जयपुर-302027



बुक-पोर्ट

प्रेषक :
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: बी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दृश्याव नं. +91-141-4202108
Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

(Dispatched by Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd., New Delhi)